केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)

भाग-V
।।। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

1. कार्य एवं संगठन

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय राजस्व अधिनियम बोर्ड, 1963 के अंतर्गत कार्य कर रहा है एक सांविधिक प्राधिकरण है। बोर्ड के अधिकारी अपनी पदेन क्षमता से प्रत्यक्ष कर के उद्ग्रहण एवं संग्रहण से संबंधित मामलों को संभालते हुए मंत्रालय के एक प्रभाग के रूप में भी कार्य करते हैं।

2. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केन्द्रीय राजस्व अधिनियम बोर्ड 1924 के परिणामस्वरूप करों के प्रशासन से भारित विभाग के शीर्ष निकाय के रूप में अस्तित्व में आया। आरंभ में बोर्ड के पास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों करों का प्रभार था। तथापि जब बोर्ड के लिए करों का प्रशासन संभालना मुश्किल हो गया तो बोर्ड को 1.1.1964 से दो भागों नामत: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोड तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड में विघटित कर दिया गया। यह द्विशाखन केन्द्रीय राजस्व अधिनियम बोर्ड, 1963 की धारा 3 के तहत दो बोर्डों के संविधान द्वारा किया गया।

3. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का संघठन एवं कार्य

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं निम्नलिखित छह सदस्य होते हैं:-

1. अध्यक्ष
2. सदस्य (आयकर)
3. सदस्य (विधायन एवं कम्प्यूटराइजेशन)
4. सदस्य (कार्मिक एवं प्रशासन)
5. सदस्य (जांच)
6. सदस्य (राजस्व एवं सतर्कता)
7. सदस्य (लेखा परीक्षा एवं न्यायिक)

4. संगठनात्मक व्यवस्था एवं मानवशक्ति

4.1 बोर्ड के दिल्ली में निम्नलिखित संलग्न कार्यालय हैं:-

(i) आयकर महानिदेशालय (प्रशासन)
(ii) आयकर निदेशालय (आरएसपी एवं पीआर)
(iii) आयकर निदेशालय (वसूली)
(iv) आयकर निदेशालय (आयकर एवं लेखा-परीक्षा)
(v) आयकर निदेशालय (ओ एवं एम एस)
(vi) आयकर महानिदेशालय (प्रणाली)
(vii) आयकर महानिदेशालय (सतर्कता)
(viii) आयकर निदेशालय (अवसंरचना)

पूरे देश में नियुक्त विभिन्न मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा क्षेत्रीय स्तरों पर प्रत्यक्ष करों का कर-निर्धारण एवं संग्रहण का प्रभार संभाला जाता है। इसके अतिरिक्त, आयकर महानिदेशक (जांच) क्षेत्रीय स्तर पर जांच तंत्र का समग्र प्रभार संभालता है जिसका उद्देश्य कर अपवंचन को रोकना एवं लेखाबाह्य धन का खुलासा करना है। मुख्य आयकर आयुक्तों/ आयकर महानिदेशकों की सहायता उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले आयकर आयुक्तों/ आयकर महानिदेशकों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त कर-निर्धारण अधिकारियों के आदेशों के विरूद्ध अपीलों के निपटान के कार्य का

निष्पादन करने हेतु एक प्रथम अपीलीय तंत्र भी है जिसमें आयकर आयुक्त (अपील) सम्मिलित होता है।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के मध्य कार्य का नियतन

I. मामले अथवा मामलों की श्रेणियां जिन पर बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से विचार किया जाना चाहिए।

1. प्रत्यक्ष करों से संबंधित विभिन्न कानूनों के तहत बोर्ड एवं संघ सरकार के सांविधिक प्रकार्यों के निष्पादन से संबंधित नीति।

2. निम्नलिखित से संबंधित सामान्य नीति:-

1. आयकर विभाग के गठन एवं संरचना का संगठन
2. बोर्ड के कार्य की प्रणाली एवं प्रक्रिया
3. कर निर्धारण के निपटान, करों के संग्रहण, कर अपवंचन तथा कर परिहार्यता का निवारण और पता लगाने के उपाय।
4. भर्ती, प्रशिक्षण तथा आयकर विभाग के कार्मिकों की सेवा शर्तों तथा रोजगार के भविष्य से संबंधित अन्य सभी मामले।

3. कर निर्धारण के निपटान तथा करों के संग्रहण के निपटान हेतु लक्ष्यों का निर्धारण तथा प्राथमिकताओं को निश्चित करना तथा अन्य संबंधित मामले।

4. प्रत्येक मामले में 25 लाख रूपए से ज्यादा की कर मांगों को बट्टे खाते में डालना।

5. पुरस्कारों एवं सराहना प्रमाणपत्रों को प्रदान करने से संबंधित नीति।

6. अन्य कोई मामला जिसे बोर्ड का अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य अध्यक्ष के अनुमोदन से बोर्ड के संयुक्त रूप से विचार करने हेतु भेज सकता है।

II मामले अथवा मामलों की श्रेणियां जिन पर अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विचार किया जाना चाहिए

1. प्रशासकीय योजना
2. मुख्य आयकर आयुक्त तथा आयकर आयुक्त के संवर्ग के अधिकारियों के स्थानान्तरण एवं तैनातियां।
3. विदेश में प्रशिक्षण से जुड़े सभी मामले।
4. शिकायत प्रकोष्ठ एवं निरीक्षण प्रभाग से जुड़ा कार्य।
5. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 ण के अंतर्गत आने वाले मामलों के अलावा विदेशी कर प्रभाग के सभी मामले।
6. सदस्य (विधायन) द्वारा अध्यक्ष को संदर्भित प्रत्यक्ष करों से संबंधित कर योजना एवं विधायन से जुड़े सभी मामले।
7. केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति एवं संसदीय परामर्श समिति से संबंधित सभी मामले।
8. अन्य कोई मामला जिसे बोर्ड का अध्यक्ष अथवा बोर्ड का अन्य कोई सदस्य अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक समझता हो।
9. बोर्ड के कार्य का समन्वय एवं समग्र पर्यवेक्षण।

III मामले अथवा मामलों की श्रेणियां जिन पर सदस्य (आयकर) द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

1. उन मामलों के अलावा जो विशेष तौर पर अध्यक्ष अथवा अन्य किसी सदस्य को आबंटित है, आयकर अधिनियम, अति लाभ कर अधिनियम, कम्पनी लाभ (अधिकार) अधिनियम, तथा होटल रसीद कर अधिनियम से संबंधित सभी मामले।
2. आयकर अधिनियम, 1974, अनिवार्य निक्षेप स्कीम अधिनियम, 1974 से जुड़े सभी मामले
3. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) और (viii क) के अन्तर्गत आवेदन।
4. मुम्बई स्थित आयकर महानिदेशालय (छूट) और आयकर निदेशालय (आयकर) में नियुक्त मुख्य आयकर आयुक्तों के परीक्षा संबंधी कार्य जो सदस्य (कार्मिक एवं प्रशा.) द्वारा देखा जाएगा के अलावा अन्य कार्य का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।

IV मामले एवं मामलों की श्रेणियां जिन पर सदस्य **(**विधायन एवं कम्प्यूटराइजेशन**)** द्वारा विचार किया जाना चाहिए

1. प्रत्यक्ष कर के प्रशासन से संबंधित विभिन्न आयोगों एवं समितियों की रिपोर्टो से जुड़े समस्त कार्य
2. प्रत्यक्ष कर से संबंधित कर योजना एवं विधायन के समस्त मामले एवं बेनामी संव्यवहार (निषेण) अधिनियम, 1988
3. विधायी उपचारात्मक कार्रवाई हेतु कर-परिहार्यता साधनों की निगरानी
4. आयकर विभाग कम्प्यूटरीकरण
5. आयकर महानिदेशालय (प्रणाली) तथा उत्तरी प्रभार-उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश में स्थित मुख्य आयकर आयुक्तों का पर्यवेक्षण एवं उन पर नियंत्रण रखना।

V मामले अथवा मामलों की श्रेणियां जिन पर सदस्य **(**आर एवं वी**)** द्वारा विचार किया जाना है**:-**

1. राजस्व बजट से संबंधित सभी मामले जिसमें देश भर के मुख्य आयकर आयुक्तों के बीच राजस्व के बजटीय लक्ष्यों को सौंपना शामिल है।
2. भाग च के अलावा करों की वसूली (आयकर का अध्याय-xvii), आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 179, 281,281 ख, 289 द्वितीय एवं तृतीय अनुसूची।
3. विभागीय लेखा-प्रणाली से संबंधित मामले।
4. धन कर अधिनियम, व्यय-कर अधिनियम, सम्पदा शुल्क अधिनियम तथा बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम से संबंधित सभी मामले जिसमें कर- परिहार्यता के निवारण एवं उसका पता लगाने से जुड़े मामले भी शामिल हैं।
5. आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XIV क XX क XX ग के तहत आने वाले सभी मामले।
6. बोर्ड में कार्य का सामान्य समन्वय।
7. पूर्वी-पश्चिम बंगाल प्रभार- बिहार, उड़ीसा, उत्तर पूर्व, झारखंड में स्थित मुख्य आयकर आयुक्तों के कार्य का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।
8. आयकर निदेशालय (वसूली), आयकर निदेशालय (आर एस पी एवं पी आर), आयकर निदेशालय (ओ एवं एम एस), महानिदेशालय (सतर्कता) से संबंधित कार्य।
9. मुख्य अभियंता (मूल्यांकन प्रकोष्ठ) के कार्य का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण।
10. कर आधार का विस्तार करने से जुड़े सभी मामले।
11. सभी अधिकारियों एवं स्टाफ सदस्यों (राजपत्रित एवं अराजपत्रित दोनों) के खिलाफ सतर्कता, अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा शिकायतें।

VI मामले अथवा मामलों की श्रेणियां जिन पर सदस्य **(**कार्मिक एवं प्रशासन**)** द्वारा विचार किया जाना चाहिए।

1. आयकर स्थापना से संबंधित समस्त प्रशासनिक (मुख्य आयकर आयुक्त तथा सहायक आयुक्तों के स्तर के अधिकारियों के स्थानांतरणों एवं तैनातियों के अलावा) मामले उपायुक्तों तथा सहायक आयुक्तों के स्तर के स्थानांतरण एवं तैनातियां अध्यक्ष के अनुमोदन से की जाएगी।
2. आयकर अधिकारियों, सहायक आयकर आयुक्तों तथा आयकर उपायुक्तों की बाह्य संवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति से संबंधित सभी मामले।
3. विदेशी प्रशिक्षण के अलावा प्रशिक्षण से जुड़े समस्त मामले।
4. व्यय बजट से संबंधित सभी मामले।
5. राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े सभी मामले।
6. कार्यालयी उपस्कर।
7. आयकर विभाग के लिए कार्यालय स्थान एवं आवासीय स्थान।
8. दक्षिण प्रभार- आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा में स्थिति मुख्य आयकर आयुक्तों तथा आयकर महानिदेशक (एनएडीटी) नागपुर के कार्य का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।
9. परीक्षा से संबंधित मामलों में आयकर निदेशालय (आयकर) से संबंधित कार्य।

VII मामले अथवा मामलों की श्रेणियां जिन पर सदस्य (जांच) द्वारा विचार किया जाना है:-

1. कर अपवंचन के निवारण तथा उसका पता लगाने से संबंधित तकनीकी एवं प्रशासनिक मामले विशेषकर वे मामले जो अध्याय –XII ख के अन्तर्गत आते हैं क्योंकि वे आयकर महानिदेशक (जांच) तथा मुख्य आयकर आयुक्त (केन्द्र) के कार्य से संगत है। आयकर अधिनियम का अध्याय-XIII ग, अध्याय-XIX क, अध्याय-XX ख, अध्याय-XXI, अध्याय-XXII तथा अध्याय-XXIII की धारा 285 ख, 287, 291, 292 एवं 292 क तथा अन्य प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के संगत उपबंध।
2. कर अपवंचन से संबंधित शिकायतों पर कार्रवाई।
3. आयकर अधिनियम के अध्याय- XXII में उल्लिखित अपराधों के संबंध में अभियोजन मामलों को दाखिल करने, छोड़ देने अथवा वापस लेने हेतु प्रशासनिक अनुमोदन से संबंधित सभी मामले तथा प्रत्यक्ष करों से संबंधित अन्य अधिनियमों के संगत उपबंध।
4. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 से 153 (दोनों सहित) के उपबंधों से संबंधित समस्त तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्य।
5. तलाशी, जब्ती एवं सूचना देने वालों को पुरस्कार।
6. सर्वेक्षण
7. स्वैच्छिक प्रकटन।
8. तस्कर और विदेशी विनियम मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 से संबंधित मामलें।
9. उच्च वर्गों वाले बैंक नोटों (विमुद्रीकरण) अधिनियम, 1978 से जुड़ा कार्य।
10. आयकर महानिदेशक (जांच) तथा मुख्य आयकर आयुक्तों (केन्द्रीय) के कार्य का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।

VIII मामले अथवा मामलों की श्रेणियां जिन पर सदस्य (लेखा-परीक्षा एवं न्यायिक) द्वारा विचार किया जाना चाहिए:-

1. आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-XX एवं धारा 288 के अन्तर्गत समस्त न्यायिक मामले।
2. उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों में रिट एवं अपीलों से संबंधित मामले तथा सिविल प्रक्रया संहिता, 1908 के अन्तर्गत दीवानी वादों से संबंधित सभी मामले।
3. उच्च एवं उच्चतम न्यायालयों के समक्ष आयकर विभाग के लिए स्थायी काउन्सेल, अभियोजन काउंसेल तथा विशेष परिषदों की नियुक्ति से संबंधित मामले।
4. लेखा- परीक्षा तथा लोक लेखा समिति से संबंधित समस्त मामले।

5. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72 क तथा 80 ण के अन्तर्गत आने वाले सभी ममालें।
6. कर-परिहार्यता के निवारण एवं उसका पता लगाने से संबंधित मामलों को छोड़कर धन कर अधिनियम, व्यय कर अधिनियम, राज्य शुल्क अधिनियम तथा बेनामी संव्यवहार (उपबंध) अधिनियम से संबंधित समस्त मामले।

7. पश्चिमी क्षेत्र गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र (मुम्बई को छोड़कर) में स्थित मुख्य आयकर आयुक्तों के कार्य का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आयकर आयुक्तों के बीच कार्य का आबंटन

1. आयकर आयुक्त **(**लेखापरीक्षा एवं न्यायिक**)**

2. लेखापरीक्षा एवं न्यायिक, डीजी (एल एंड आर) से संबंधित सभी फाइलें
3. आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपीली प्राधिकारी

आयुक्त **(**लेखापरीक्षा एवं न्यायिक**)** फोन **- 26109827**

2. आयकर आयुक्त **(**समन्वय**)**

1. स्थापना एवं संवर्ग प्रबंधन से संबंधित सभी नीतिगत मामले। सीबीडीटी की ओर से वह डीएस (सिस्टम्स) एवं निदेशक (डीओएमएस) के साथ इंटरेस्ट करेंगे।
2. व्यय बजट से संबंधित वित्तीय प्रबंधन, जिसके लिए डीओएमएस को नोडल एजेंसी बनाया जा रहा है, का सीबीडीटी की ओर से उनके द्वारा पर्यवेक्षक किया जाएगा।
3. विभाग की अवसंरचनात्मक आवश्यकता से संबंधित नीति। वह अध्यक्ष एवं सदस्य (कार्मिक) की सहायता करेंगे।
4. शिकायतों के गंभीर मामले तथा इस संबंध में सभी वीआईपी संदर्भ जहां तत्काल ध्यान देने की जरूरत होता है।
5. पीएमओ के सभी संदर्भ, मंत्रिमंडल के निर्णयों, मंत्रिमंडल समिति के निर्णयों के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण
6. सीबीडीटी की ओर से समन्वय का कोई अन्य मामला जिसे राजस्व सचिव द्वारा सौंपा जाता है।
7. बाहरी एजेंसियों तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ किसी बैठक में अध्यक्ष की ओर से प्रतिनिधित्व करना।
8. सीबीडीटी में विभिन्न सदस्यों के कार्य का समन्वय करना और बाहरी एजेंसियों के साथ संपर्क स्थापित करना।
9. अध्यक्ष एवं किसी अन्य उच्च प्राधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।
10. वित्त मंत्री द्वारा सीबीडीटी के अधिकारिक प्रवक्ता के रूप में नियुक्त। मीडिया से संबंधित सभी मामले। मीडिया समन्वयक सीआईटी (सीएंडएस) को रिपोर्ट करेंगे।
आयुक्त **(**समन्वय एवं प्रणालियां**)** फोन **- 23093544**

4. आयकर आयुक्त **(**आईटीए**)**

1. सदस्य (आईटी) के अधीन काम करने वाले सभी अनुभाग आयकर आयुक्त (आईटीए) के माध्यम से रिपोर्ट करेंगे।
2. उपर्युक्त के संबंध में शिकायतें/अभ्यावेदन।
3. राजस्व के संग्रळण से संबंधित आंचलिक कार्य, अंचल के मुख्य आयुक्तों के साथ समन्वय तथा अंचल के राजस्व में वृद्धि की रणनीति विकसित करना।

4. संसदीय प्रश्न तथा पीएसी एवं संसद की मरामर्श एवं सलाहाकार समितियों से संबंधित मामले।
5. आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपीली प्राधिकारी।

आयुक्त (आईटीए) फोन - **23092364**

4. आयकर आयुक्त (जांच)

1. सदस्य (जांच) के अधीन काम करने वाले सभी अनुभाग आयकर आयुक्त (जांच) के माध्यम से रिपोर्ट करेंगे।
2. कर अपवंचन की सभी शिकायतें जिसमें सांसदों एवं अन्यों से प्राप्त शिकायतें भी शामिल हैं।
3. जांच एवं प्रवर्तन एजेंसियों से संबंधित अंतर्विभागीय समन्वय।
4. उपर्युक्त के संबंध में सभी शिकायतें/अभ्यावेदन, संसदीय प्रश्न, पीएसी कार्य, मरामर्श एवं सलाहाकार समिति के कार्य।
5. सांख्यिकी समेत तलाशी एवं जब्ती से संबंधित सभी मामले तथा आयकर अधिनियम की धारा 132, 132 ए एवं 132 एन से संबंधित मामले तथा सर्वेक्षण की कार्रवाइयां एवं सीआईबी कार्य।
6. आयकर महानिदेशक (जांच) के अधीन जांच निदेशालय के कार्य की समीक्षा की निगरानी।
7. अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय।
8. विभाग का कंप्यूटरीकरण एवं डीजीआईटी (सिस्टम्स) तथा प्रणाली निदेशालयों के साथ समन्वय।
9. आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत अपीली प्राधिकारी।

आयुक्त (जांच) फोन - **230929177**

6. आयकर आयुक्त (आईटी एंड सीटी)

1. सदस्य (राजस्व) के अधीन काम करने वाले सभी अनुभाग आयकर आयुक्त (जांच) के माध्यम से रिपोर्ट करेंगे।
2. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकर समिति तथा क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति की संरचना एवं बैठकों से जुड़ा कार्य।
3. संसदीय परामर्श समिति की बैठक से जुड़ा कार्य।
4. उपर्युक्त से संबंधित सभी शिकायतें/अभ्यावेदन, संसदीय प्रश्न, पीएसी कार्य, परामार्श एवं सलाहकर समिति के कार्य।
5. सदस्य (राजस्व) का आंचलिक कार्य।
6. सूचना का अधिकार अधिनियम की व्याख्या से संबंधित मामले तथा सीबीडीटी में इसका कार्यान्वयन।
7. करों के संग्रहण में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान करना जिसमें करदाताओं को सम्मान पुरस्कार देना शामिल है।
8. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंर्तगत अपीली प्राधिकारी।

आयुक्त (आय एवं निगम कर) फोन - **23092153**

7. आयकर आयुक्त (सतर्कता)

1. निदेशक (वीएंडएल) द्वारा संव्यवहार की जाने वाली सभी फाइलें आयुक्त (सतर्कता), सीबीडीटी के माध्यम से सदस्य (पीएंडवी) को प्रस्तुत की जाएंगी।
2. आयकर आयुक्त (सतर्कता) सदस्य (सतर्कता) की निम्नलिखित से संबंधित कार्य में सहायता करेंगे (क) समूह क के सभी अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतों के संबंध में सतर्कता एवं

अनुशासनिक कार्यवाहियां, (ख) सदस्य (पीएंडवी) के अधीन आने वाले आंचलिक मामले, (ग) सदस्य (पीएंडवी) द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

3. उपर्युक्त विषय के संबंध में संसद सदस्यों/वीआईपी/मंत्रियों से संदर्भ तथा संसद प्रश्न।
4. सूचना का अधिकार अधिनियम के अंर्तगत अपीली प्राधिकारी।
आयुक्त (सतर्कता) फोन - **23092174**

8. मीडिया समन्वयक

1. मीडिया केन्द्र, सीबीडीटी मीडिया को प्रत्यक्ष कर से संबंधित सार्वजनिक महत्व की सूचना के प्रसार के लिए नोडल बिन्दु होगा।
2. मीडिया केन्द्र, सीबीडीटी के प्रभागों/डेस्कों, संबद्ध कार्यालयों तथा सीबीडीटी के क्षेत्रीय कार्यालयों से मीडिया में उठाए गए प्रश्नों का जबाब देने के लिए सूचना की तलाश करेगा।
3. मीडिया केन्द्र, सीबीडीटी के कार्यालय के प्रवक्ता के रूप में कार्य करेगा तथा प्रवक्ता या किसी अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा प्रेस सम्मेलन/वार्ता का आयोजन करेगा तथा उनसे संबंधित अभिलेख भी रखेगा।
4. मीडिया केन्द्र, मीडिया में सूचीत हाई प्रोफाइल व्यष्टियों / संस्थाओं के विरूद्ध विभाग द्वारा की गई कार्रवाई पर तथ्यात्मक स्थिति की रिपोर्ट करेगा।
5. मीडिया केन्द्र मीडिया के माध्यम से अभिव्यक्त सार्वजनिक राय के बारे में आवधिक फीडबैक प्रदान करेगा।
6. मीडिया केन्द्र मीडिया में छपने वाली कागजी एवं इलेक्ट्रानिक दोनों सूचनाओं का रिकार्ड रखने के लिए संसाधन केन्द्र के रूप में काम करेगा।

मीडिया समन्वयक, दूरभाष - **23095433,** इंटरकॉम **5453,** फैक्स - **23092182**
अनुभाग - मीडिया केन्द्र, इंटरकॉम - **5583**

1. प्रशासन **VI** अनुभाग

विषयों की सूची**:**

आयकर विभाग के राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित निम्नलिखित मामले:

1. वेतन - नियम से ठीक नीचे
2. विशेष वेतन
3. त्यागपत्र - सेवा में मृत्यु
4. एसी, आईटी को वरिष्ठ वेतनमान तथा डीसीआईटी को प्रवर ग्रेड प्रदान करने के लिए डीपीसी का आयोजन
5. वरिष्ठता
6. भर्ती नियमावली
7. अधिकारियों का विदेशों में प्रशिक्षण
8. विभागीय परीक्षा
9. तैनाती एवं स्थनांतरण
10. अभिपुष्टि
11. संघ एवं यूनियन
12. भारत में संवर्गेतर पदों पर प्रतिनियुक्ति
13. डीपीसी
14. विदेशों में प्रतिनियुक्ति / आबंटन
15. भर्ती
16. आयकर उपायुक्त, सीआईटी, सीसीआईटी / डीजीआईटी के ग्रेड में पदोन्नति
17. सहायक आयकर आयुक्त के ग्रेड में पदोन्नति

18. अनुभाग में डील किए जाने वाले विषयों से संबंधित संसद प्रश्न
19. अनुभाग में डील किए जाने वाले विषयों से संबंधित रिपोर्ट एवं विवरणियां।

अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	निदेशक (प्रशा. VI)
दूरभाष : 23092683	दूरभाष : 23095474	दूरभाष : 23092496
इंटरकॉम : 5482	इंटरकॉम : 2887	इंटरकॉम : 5456

संयुक्त सचिव (प्रशा.)	सदस्य (पीएंडवी)
दूरभाष : 23095457	दूरभाष : 23093621
इंटरकॉम : 5435	

2. प्रशा**. VI (**क**)** अनुभाग

विषयों की सूची**:**

आयकर विभाग के राजपत्रित अधिकारियों से संबंधित निम्नलिखित मामले:
1. पेंशन
2. सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964
3. चिकित्सा परिचर नियमावली
4. भवन निर्माण अग्रिम, कार अग्रिम, जीपीएफ अग्रिम, आंशिक एवं अंतिम आहरण
5. छुट्टी मामले
6. गैर-हकदार अधिकारियों को हवाई यात्रा की अनुमति
7. टीए / छुट्टी यात्रा रियायत
8. गृह नगर / नाम / उपनाम/ जन्म तिथि में परिवर्तन
9. शुल्क / मानदेय
10. एचआरए / सीसीए
11. अधिकारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
12. चैम्बर प्रैक्टिस स्थापित करने तथा सेवानिवृत्ति के बाद वाणिज्यिक रोजगार की अनुमति
13. कार्य की उपर्युक्त मदों पर संसद प्रश्न
14. रिपोर्ट एवं विवरणियां
15. विस्तार एवं पुनर्रोजगार
16. कम्प्यूटर संवर्ग में समूह क एवं ख के पदों जैसे कि संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक की नियुक्ति
17. सीबीडीटी के अधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कंप्यूटर संवर्ग में राजपत्रित स्टाफ तथा वरिष्ठ पी ए की भर्ती नियमावली बनाना
18. आईटीओ समूह ख के एसीआर में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों के विरूद्ध उनसे अपील / ज्ञापन।

अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	निदेशक (प्रशा. VI)
दूरभाष : 23092683	दूरभाष : 23095474	दूरभाष : 23092496
इंटरकॉम : 5482	इंटरकॉम : 2887	इंटरकॉम : 5456

संयुक्त सचिव (प्रशा.)	सदस्य (पीएंडवी)	अध्यक्ष
दूरभाष : 23095457	दूरभाष : 23093621	दूरभाष : 23092648
इंटरकॉम : 5435		इंटरकॉम : 5421

3. प्रशासन **VII** अनुभाग
विषयों की सूची**:**
1. सीबीडीटी के अधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में पदों (सभी संवर्ग समूह क, ख, ग एवं घ) का सृजन

2. अस्थाई पदों की सततता, अस्थाई पदों का स्थाई पदों में परिवर्तन तथा सीबीडीटी के अधीन एक संगठन से दूसरे संगठन में पदों का अंतरण
3. आयकर प्रभारों का सृजन / पृथक्करण
4. सीबीडीटी के अधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य अध्ययन से संबंधित सभी मामले
5. आयकर विभाग में फुटकर संदत्त स्टाफ एवं उनकी नियमितता से संबंधित सभी मामले
6. सीसीए, सीबीडीटी एवं जेडएओ के स्टाफ से संबंधित प्रशासनिक समस्याएं एवं नीतियां
7. प्रत्यक्ष करों से संबंधित समितियों / आयोगों का गठन - समितियों / आयोगों की सिफारिशों का प्रसंस्करण
8. सीबीडीटी के अधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों से संबंधित सभी सामान्य संगठनात्मक प्रशासनिक मामले
9. संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती / पदोन्नति से संबंधित सभी मामले
10. अराजपत्रित स्टाफ से संबंधित भर्ती नियमावली बनाना, उसकी समीक्षा एवं संशोधन
11. अराजपत्रित पदों पर पदोन्नति में दमन के विरूद्ध अभ्यावेदन
12. गैर या विलंबित अभिपुष्टि / पदोन्नति - इस संबंध में अभ्यावेदन
13. सीबीडीटी के अधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में सेवाओं में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षण से संबंधित सभी मामले
14. समूह ग एवं घ के स्टाफ की वरिष्ठता से संबंधित सभी मामले
15. पदों को अनारक्षित करने के लिए प्रस्ताव का प्रसंस्करण तथा आरक्षण से संबंधित विभिन्न सांख्यिकीय विवरणियां तैयार करना
16. वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद की बैठकों से संबंधित मामले - उनका प्रसंस्करण
17. मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति - प्रस्तावों का प्रसंस्करण
18. गोपनीय रिपोर्टों में प्रतिकूल टिप्पणियों के विरूद्ध अभ्यावेदन - सीआर फार्मों की समीक्षा एवं संशोधन
19. त्यागपत्र की वापसी तथा सेवा में पुनर्वहाली
20. अंतर्प्रभार एवं प्रभार के अन्दर अराजपत्रित स्टाफ का स्थानांतरण - अभ्यावेदनों पर विचार करना तथा नीतियों का निर्माण करना
21. आयकर विभाग में नए आयकर कार्यालय खोलने से संबंधित मामले
22. सीसीएस (आचरण) नियमावली - इसका प्रशासन
23. प्रशासन VII अनुभाग से संबंधित सेवा मामलों में आयकर कर्मचारियों के संघों / यूनियनों से अभ्यावेदनों का प्रसंस्करण - महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में बोर्ड के लिए मासिक रिपोर्टें तैयार करना
24. सीबीडीटी के अधीन कार्यालयों में सेवाओं में अ.जा./अ.ज.जा.के लिए आरक्षण के संबंध में विभिन्न विवरणों / विवरणियों का संकलन
25. स्टाफ की संख्या, खिलाड़ी के रूप में गैर भारतीयों की भर्ती आदि से संबंधित विभिन्न रिपोर्टें एवं विवरणियां तैयार करना
26. शारीरिक रूप से विकलांग एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण / समायोजन आदि
27. सीबीडीटी के अधीन संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में समूह ग के स्टाफ की भर्ती के संबंध में एसएससी के साथ सभी पत्राचार आदि
28. कार्य की उपर्युक्त मदों से संबंधित संसद प्रश्न।

अनुभाग अधिकारी
दूरभाष : 23092683
इंटरकॉम : 5482

अवर सचिव
दूरभाष : 23095474
इंटरकॉम : 2887

निदेशक (प्रशा. VI)
दूरभाष : 23092496
इंटरकॉम : 5456

संयुक्त सचिव (प्रशा.)
दूरभाष : 23095457
इंटरकॉम : 5435

सदस्य (पीएंडवी)
दूरभाष : 23093621

अध्यक्ष
दूरभाष : 23092648
इंटरकॉम : 5421

4. प्रशासन **VIII (**डीटी**)** अनुभाग

विषयों की सूची**:**

1. अखिल भारतीय आधार पर आयकर विभाग के लिए निर्माण कार्यक्रम तैयार करना
2. निर्माण कार्यक्रम का कार्यान्वयन
3. निम्नलिखित के संबंध में भवनों के निर्माण के संबंध में आयकर आयुक्तों से प्राप्त व्यक्तिगत प्रस्तावों की जांच:
   (1) आवास की अनुसूची तैयार करना
   (2) योजनाओं एवं प्राक्कलनों की संवीक्षा
   (3) व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त करना, जहां आवश्यक हो; और
   (4) प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति जारी करना
4. निम्नलिखित के संबंध में विभागीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि के अधिग्रहण के संबंध में प्रस्तावों की संवीक्षा:
   (1) स्टाफ की संख्या आदि के आधार पर कार्यालय एवं आवासीय आवास के लिए आवश्यकताओं की विस्तृत जांच; और
   (2) प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति जारी करना
5. भवनों के क्रय के संबंध में प्रस्तावों की जांच
6. विभागीय भवनों की मरम्मत एवं छोटे कार्य के संबंध में प्रस्तावों की जांच
7. विभागीय भवनों के निर्माण, भूमि एवं भवनों के क्रय के संबंध में बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप देना
8. संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के संबंध में कार्यालय / कार्यालय-सह-निवास आवास एवं गोदाम आवास की हायरिंग के संबंध में प्रस्तावों की जांच
9. स्टाफ को रियायती आवास का प्रावधान
10. अनुभाग से संबंधित मामलों पर कोर्ट केस
11. भवनों की खरीद एवं खरीदी गई संपत्तियों के संबंध में मामले
12. आयकर विभाग के विभागीय पूल में आवासीय आवास के आवंटन के संबंध में नियमों का निर्माण एवं व्याख्या
13. अतिरिक्त भूमि एवं भवनों का निस्तारण
14. विभागीय भवन, कार्यालय एवं आवास के संबंध में सभी विविध मामले
15. उपर्युक्त विषयों से संबंधित संसद प्रश्न
16. विशिष्ट भवनों में कार्यालयों की अवस्थिति के संबंध में अभ्यावेदन एवं शिकायतें
17. संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिए वाहनों के क्रय, प्रतिस्थापन एवं हायरिंग के लिए प्रस्तावों का प्रसंस्करण
18. फुटकर व्यय (टेलीफोन, फर्नीचर, लेखन सामग्री, टाइपराइटर, पुस्तकें एवं प्रकाशन आदि)
19. एयर कंडीशनर्स
20. उपर्युक्त विषयों पर संसद सदस्यों / मंत्रियों एवं अन्य वीआईपी से संदर्भ
21. आयकर विभाग के विभिन्न स्टाफ संघों से अभ्यावेदन
22. कोई अन्य मामला जो सीबीडीटी द्वारा विशेष रूप से आवंटित किया जा सकता है।

अनुभाग अधिकारी दूरभाष : 23095495 इंटरकॉम : 5495	निदेशक दूरभाष : 23093134 इंटरकॉम : 5456	संयुक्त सचिव (प्रशा.) दूरभाष : 23095457 इंटरकॉम : 5435
सदस्य (पीएंडवी) दूरभाष : 23093621	अध्यक्ष दूरभाष :23092648 इंटरकॉम : 5421	

5. प्रशासन **IX** अनुभाग

विषयों की सूची**:**

1. अग्रिम - जीपीएफ अग्रिम, मकान निर्माण अग्रिम, बाढ़ अग्रिम आदि
2. छुट्टी, अवकाश एवं छुट्टी वेतन आदि

3. सेवा में ब्रेक की माफी
4. वेतन का नियतन, वार्षिक वेतनवृद्धि, अग्रिम वेतनवृद्धि ,दक्षता छड़ को पार करना, विशेष वेतन आदि
5. भत्तों (एचआरए, सीसीए, डीए, एलटीसी, परियोजना भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता, धुलाई भत्ता, वाहन भत्ता आदि) से संबंधित मामले
6. पुनर्नियुक्त पेंशनभोगियों एवं एक्स-कॉम्बैटेंट क्लर्कों के वेतन का नियतन
7. अधिक भुगतान की वसूली को माफ करना
8. संघ एवं यूनियन (मान्यता एवं अन्य मामले)
9. पेंशन एवं उपदान आदि - इससे संबंधित मामले
10. पुनर्नियुक्ति एवं सेवा विस्तार
11. पेंशन, छुट्टी आदि के लिए पिछली सैन्य एवं सिविल सेवा की गणना
12. वेतन, भत्ता आदि के एरियर के दावे
13. चिकित्सा प्रभार - एरियर के दावों की जांच एवं प्रतिपूर्ति
14. अनुकंपा अनुदान - भारतीय अनुकंपा निधि से अवार्ड
15. विभागीय परीक्षाओं से संबंधित मामले
16. मानदेय मंजूर करना
17. आयकर निदेशालय में हिंदी के प्रयोग की प्रगति पर नजर रखना
18. वित्त मंत्रालय की विभागीय परिषद - तिमाही बैठकें - अनुवर्ती कार्रवाई - विभागीय परिषद की समिति बैठकें
19. सुझाव योजना - इससे संबंधित मामले
20. मितव्ययिता अनुदेश - एयर कंडीशनर्स
21. वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियमावली
22. पोशाक
23. बजट प्राक्कलन
24. पेशगी (स्थाई अग्रिम)
25. कंप्यूटरीकरण
26. केन्द्र सरकार कर्मचारी बीमा योजना / लिंक्ड बीमा योजना
27. विविध संदर्भ
28. उपर्युक्त विषयों से संबंधित संसद प्रश्न
29. उपर्युक्त विषयों से संबंधित संसद सदस्यों/मंत्रियों/पीएमओ/राष्ट्रपति सचिवालय से संदर्भ

अनुभाग अधिकारी दूरभाष : 26172515 (एचवीबी)	अवर सचिव दूरभाष : 26172746 (एचवीबी)	उप सचिव दूरभाष : 26172736 (एचवीबी)
संयुक्त सचिव (प्रशा.) दूरभाष : 23095457 इंटरकॉम : 5435	सदस्य (पीएंडवी) दूरभाष : 23093621	अध्यक्ष दूरभाष :23092648 इंटरकॉम : 5421

6. सतर्कता एवं वाद अनुभाग

विषयों की सूची:

1. आयकर विभाग के राजपत्रित एवं अराजपत्रित स्टाफ के संबंध में सतर्कता एवं अनुशासनिक कार्यवाही
2. सीबीडीटी को या राष्ट्रपति को संबोधित आयकर विभाग के राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के अनुशासनिक मामलों में अनुशासनिक कार्यवाही, अपील एवं याचिकाएं
3. राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के संबंध में शिकायतें
4. मुख्य सतर्कता अधिकारी (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) नामत: आयकर निदेशक (सतर्कता) के साथ कार्य का समन्वय
5. सेवा निवृत्त होने वाले विभिन्न अधिकारियों को तथा अन्य मामलों में सतर्कता निकासी की मंजूरी, यदि ऐसा अपेक्षित हो।

6. आयकर विभाग के समूह क के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में गुप्त टिप्पणियों पर कार्रवाई
7. क्षेत्रीय कार्यालय या अन्यथा से सतर्कता मामलों पर किसी सुझाव का प्रसंस्करण
8. सेवा मामलों के संबंध में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण तथा भारत के उच्चतम न्यायालय की विभिन्न बेंचों में वाद/कोर्ट केस तथा कानूनी मामले
9. न्यायालयों / केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में आने वाले मामलों को देखना तथा सरकारी वकील / केन्द्रीय एजेंसी की सहायता करना / जानकारी प्रदान करना।
10. सेवा संबंधी वाद के विभिन्न मामलों में विशेष वकीलों / स्थाई वकीलों / अपर स्थाई वकीलों / वरिष्ठ स्थाई वकीलों की तैनाती
11. सेवा मामलों के संबंध में विधि मंत्रालय या केन्द्रीय एजेंसी अनुभाग से परामर्श
12. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली और / या केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली में किसी परिवर्तन के कारण उपचारी कदम उठाना
13. उपर्युक्त विषयों के संबंध में संसद सदस्यों / वीआईपी /मंत्रियों से संदर्भ तथा संसद प्रश्न
14. रिपोर्टों और विवरणियों की निगरानी
15. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के अंतर्गत अर्थदंड के विरूद्ध अभ्यावेदनों/अपीलों पर विचार करना तथा निस्तारण

अनुभाग अधिकारी
दूरभाष : 23095486
इंटरकॉम : 5486

अवर सचिव
दूरभाष : 23095472
दूरभाष: 23095477 इंटरकॉम: 5477

उप सचिव
दूरभाष : 23095477

संयुक्त सचिव (प्रशा.)
दूरभाष : 23095457
इंटरकॉम : 5477

सदस्य (वी एंड एल)
दूरभाष : 23093621

7. आई टी ए **- 1** अनुभाग

विषयों की सूची**:**

आयकर अधिनियम, 1961 के निम्नलिखित अध्यायों में वर्णित विषयों से संबंधित सभी मामले

1. अध्याय I अर्थात अधिनियम की सीमा एवं कार्य क्षेत्र, पिछले वर्ष का कर निर्धारण, परिभाषाएं, कंपनियों की घोषणा - धारा 2(17) (iv) एवं 2(3) को छोड़कर
2. अध्याय II अर्थात प्रभार का आधार, धारा 5(2) एवं 9 को छोड़कर
3. अध्याय III अर्थात आय जो कुल आय का हिस्सा नहीं है तथा धारा 10,11,12 एवं 13 के अंतर्गत अन्य छूटें (धारा 10(4), 10(4 क), 10(6), 10(7), 10(8), 10(9), 10(15) (iv) को छोड़कर)।
4. अध्याय IV अर्थात कुल आय की गणना - अध्याय IV के निम्नलिखित भाग: (क) वेतन (ख) धारा 21 को छोड़कर प्रतिभूतियों पर ब्याज (ग) धारा 25 को छोड़कर संपत्ति से आय (घ) धारा 58(क) एवं (ii) को छोड़कर अन्य स्रोतों से आय।
5. अध्याय V अर्थात कर निर्धारिती की कुल आय में शामिल अन्य व्यक्तियों की आय।
6. अध्याय VI-क अर्थात कुल आय की गणना में की जाने वाली कटौतियां (धारा 80 च, 80(एम)(i)(क), 80 एमएम, 80 एन, 80 ओ, 80 आर, 80 आरआरए को छोड़कर)।
7. अध्याय VII अर्थात कुल आय का हिस्सा बनने वाली आय जिस पर आयकर देय नहीं है।
8. अध्याय VIII अर्थात राहतें एवं रिबेट
9. अध्याय X कर परिहार से संबंधित विशेष प्रावधान (धारा 92 एवं 93 को छोड़कर)।
10. अध्याय XII अर्थात कतिपय विशेष मामलों में कर का निर्धारण।
11. अध्याय XII ख - कतिपय कंपनियों के संबंध में विशेष प्रावधानों के संबंध में।
12. अध्याय XII ग - फुटकर व्यापार से संबंधित विशेष प्रावधानों के संबंध में।
13. आयकर अधिनियम के अध्याय XXI-ख के अंतर्गत विभिन्न कर क्रेडिट प्रमाणपत्र योजनाओं के प्रावधानों की व्याख्या एवं कार्यान्वयन से संबंधित कार्य।
14. धारा 120 एवं 124 के अंतर्गत क्षेत्राधिकार।
15. धारा 127 के अंतर्गत मामलों का अंतरण।
16. ब्याज कर अधिनियम।
17. उपर्युक्त से संबंधित शिकायतें, अभ्यावेदन एवं संसद प्रश्न।

18. होटल प्राप्ति कर अधिनियम, 1980

अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	ओएसडी (आईटीए-।)
दूरभाष : 23093070	दूरभाष : 23095417	दूरभाष : 23092107
इंटरकॉम : 5417	इंटरकॉम : 5479	इंटरकॉम : 5412

निदेशक (आईटीए-।)	आयुक्त (आईटीए)	सदस्य (आईटी)
दूरभाष : 23092107	दूरभाष : 23092151	दूरभाष : 23092831
इंटरकॉम : 5412	इंटरकॉम : 5493	इंटरकॉम : 5323

8. आई टी ए **-II** अनुभाग

विषयों की सूची**:**

आयकर अधिनियम, 1961 के निम्नलिखित अध्यायों के अंदर डील किए गए विषयों से संबंधित सभी मामले

1. अध्याय IV - केवल भाग घ एवं ड़ अर्थात पेशों के व्यवसाय के लाभ एवं अभिलाभ एवं पूंजी अभिलाभ।
2. अनुसूची II एवं III को छोड़कर आयकर अधिनियम, 1961 की सभी अनुसूचियां
3. बी पी टी
4. मार्गदर्शी योजना के अंतर्गत आई टी वी सी तथा आई टी सी सी
5. पाकिस्तान, बर्मा, सिलोन एवं पूर्वी अफ्रीकी देशों के प्रवासियों को रियायतें।
6. पूर्व भारतीय राज्यों से संबंधित सभी मामले।
7. अध्याय XII-ग की धारा 138
8. अध्याय XIV की 139 से 146 तक की धाराएं - उनसे संबंधित सभी मामले।
9. धारा 153 अर्थात कर निर्धारण पूरा करने के लिए समय सीमा।
10. धारा 154 से 158 - उनसे संबंधित सभी मामले।
11. अध्याय XVI अर्थात फर्मों पर लागू विशेष प्रावधान।
12. फर्मों आदि का पंजीकरण, धारा 182(3) को छोड़कर।
13. अध्याय XV अर्थात भाग एच, आई एवं जे को छोड़कर विशेष मामलों की देयता
14. अध्याय XX ख - आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 टी एवं 269 टीटी
15. अध्याय XVIII अर्थात कतिपय मामलों में लाभांश पर कर के संबंध में राहत
16. फर्मों की ब्लैक लिस्टिंग।
17. निम्नलिखित से संबंधित व्याख्या एवं वर्गीकरण:
    (क) कंपनी (लाभ) सर्टेक्स अधिनियम, 1964;
    (ख) सुपर लाभ कर अधिनियम, 1963; और
    (ग) अनिवार्य जमा (आयकर दाता) अधिनियम, 1974
18. उपर्युक्त विषयों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत आदेश।
19. आयकर अधिनियम की धारा 36(1) (iii) के अंतर्गत निगमों के संबंध में अनुमोदन।
20. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii क) के अंतर्गत बैंकों के संबंध में अनुमोदन।
21. सभी शिकायतें / अभ्यावेदन / संसद प्रश्न, पीएसी कार्य, परामर्श एवं सलाहकार समिति के कार्य।
22. आयकर अधिनियम के उपर्युक्त विषयों के संबंध में धारा 35(1)(ii)(iii) के अंतर्गत अनुमोदन।
23. कर निर्धारण की संख्या के संबंध में डीआईटी (आरएसपी एंड पीआर) तथा आयुक्तों से सभी रिपोर्टें एवं विवरणियां।
24. अनुषंगी लाभकर।

अनुभाग अधिकारी	ओएसडी (आईटीए)	आयुक्त (आईटीए)
दूरभाष : 23095489	दूरभाष : 23095480	दूरभाष : 23092837
इंटरकॉम : 5484	इंटरकॉम : 5480	इंटरकॉम : 2837

सदस्य (आईटी)
दूरभाष : 23092375
इंटरकॉम: 2375

9. आयकर **(**न्यायिक**)** अनुभाग

विषयों की सूची**:**

1. आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX में डील किए गए विषयों से सरोकार रखने वाली सभी समस्याएं अर्थात अपील एवं संशोधन। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 263 / 264 तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 33 क, 33 ख के अंतर्गत संशोधन।
2. अध्याय XXIII विविध (आयकर प्रेक्टिसनर्स आदि) अन्य अनुभागों को विशेष रूप से आवंटित मदों को छोड़कर।
3. अध्याय XIV क – आवर्ती अपीलों से बचने के लिए विशेष प्रावधान।
4. आयकर मामलों से संबंधित रिट याचिकाएं।
5. आयकर आयुक्त (अपील)/ डीसीसीए के कार्य पर नियंत्रण एवं क्षेत्राधिकार, उनके कार्य का वितरण, अपीलों का अंतरण आदि।
6. आयकर से संबंधित सभी वाद।
7. विशेष वकीलों की नियुक्ति, स्थाई वकीलों, अपर स्थाई वकीलों, वरिष्ठ स्थाई वकीलों एवं विशेष अभियोजन वकीलों की भी नियुक्ति।
8. निम्नलिखित के संबंध में सांख्यिकी:
   (क) उच्च न्यायालयों / उच्चतम न्यायालय में अपीलों आदि की लंबिता।
   (ख) अपीलों का संस्थापन, निस्तारण एवं लंबिता, आयकर उपायुक्त (अपील) के समक्ष संदर्भ।
   (ग) अपीलों का संस्थापन, निस्तारण एवं लंबिता, आयकर अपीली अधिकरण के साथ संदर्भ/प्रति आपत्तियां।
9. उपर्युक्त विषयों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत आदेश।
10. उपर्युक्त से संबंधित सभी शिकायतें / अभ्यावेदन, संसद प्रश्न, पी ए सी कार्य परामर्श एवं सलाहकार समिति के कार्य।
11. न्यायालयों में आने वाले मामलों को अटेंड करना तथा सरकारी वकील की सहायता करना/ संक्षिप्त जानकारी प्रदान करना।
12. विधि मंत्रालय द्वारा व्यक्त की गई राय / दी गई सलाह के आलोक में न्यायालयों के निर्णयों पर प्रशासनिक अनुदेश जारी करके या कानून में संशोधन करके उपचारी कदम उठाना।
13. क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उल्लिखित किसी खामी को दूर करने के प्रयोजनार्थ क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा राहत प्रदान करने वाले कानून के नए प्रावधानों के प्रभाव एवं उनके कार्यान्वयन/प्रशासन की समीक्षा एवं निगरानी।
14. कानून के विद्यमान प्रावधानों में पाई गई खामियों की पहचान तथा उपचारी कदम का सुझाव देना।

टिप्पणी:

(1) उच्च न्यायालयों द्वारा मंजूर एसएलपी एवं लीव के रूप में उच्चतम न्यायालय में आयकर अपीलों से संबंधित कार्य डीआईटी (एलएंडआर) के कार्यालय द्वारा देखा जा रहा है।

(2) उपर्युक्त मद 12, 13 एवं 14 से संबंधित उपयुक्त विधायन की प्रोसेसिंग से संबंधित वास्तविककार्य टीपीएल अनुभाग की जिम्मेदारी होगी जिसे जांच के बाद मामला संदर्भित करना चाहिए।

अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	उपसचिव
दूरभाष : 26177534	दूरभाष : 26177534	दूरभाष: 26177380
इंटरकॉम : 771 (एचवीबी)	इंटरकॉम : 771 (एचवीबी)	इंटरकॉम : 902 (एचवीबी)

आयुक्त (ए एंड जे)	सदस्य (ए एंड जे)
दूरभाष : 26109827 (एचवीबी)	दूरभाष : 23092831
	इंटरकॉम : 5323

10. आयकर **(**बजट**)** अनुभाग

विषयों की सूची:

1. केवल बजट लक्ष्य तथा मांग संग्रहण (बकाया एवं वर्तमान दोनों) के संबंध में निगम कर, आयकर एवं ब्याज कर से संबंधित सभी सांख्यिकी की प्राप्ति, विश्लेषण एवं प्रसार।
2. बजट लक्ष्यों का प्राक्कलन एवं आवंटन।
3. बजट संग्रहण की आवधिक समीक्षा तथा इसे बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदम।
4. अध्याय XVII (धारा 195 को छोड़कर) तथा अध्याय XVII घ से संबंधित सभी मामले जिनमें परिपत्रों, अनुदेशों आदि के निर्गम के रूप में उनका कार्यान्वयन, व्याख्या शामिल है तथा अध्याय XVII के अंतर्गत इस संबंध में सुझावों की प्रोसेसिंग, अध्याय XVII के अंतर्गत धारा 230 को आयकर (बजट) द्वारा डील किया जाएगा।
5. टीडीएस डाटा की प्राप्ति एवं विस्तार से विश्लेषण तथा इस शीर्ष के अंतर्गत संग्रहण बढ़ाने के लिए उसकी निगरानी।
6. कर के अग्रिम भुगतान के रूप में संग्रहण की निगरानी एवं नियंत्रण के लिए प्रणाली विकसित करना।
7. वर्तमान एवं बकाया मांग के संग्रहण के लिए उठाए जाने वाले कदम।
8. बकाया मांग को कम करने एवं बट्टे खाते में डालने से संबंधित समस्याएं।
9. आईटीओ, एसीआईटी,, डीसीआईटी, मुख्य आयुक्तों/महानिदेशकों को बट्टे खाते में डालने की शक्तियों का प्रत्यायोजन।
10. टीआरओ के लिए वार्षिक कार्य योजना की निगरानी।
11. कार्य जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष करों की स्वीकृति से संबंधित मुख्य लेखा नियंत्रक से संदर्भ शामिल है।
12. राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत नए लेखा शीर्ष खोलना।
13. आयकर अधिनियम के अध्याय XVIII की धारा 289
14. उपर्युक्त विषयों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत आदेश
15. प्रतिदाय बैंकर योजना
16; उपर्युक्त विषय से संबंधित सभी शिकायतें/अभ्यावेदन, संसद प्रश्न, पीएसी कार्य, परामर्शदात्री एवं सलाहकार समिति का कार्य।

अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	निदेशक (बजट)
दूरभाष : 23095485	दूरभाष : 23095467	दूरभाष : 23092641
इंटरकॉम : 5485	इंटरकॉम : 5478	इंटरकॉम : 5462

आयुक्त (सीटी एंड आईटी)	सदस्य (ए एंड जे)
दूरभाष : 23092153	दूरभाष : 23093356
इंटरकॉम : 5445	इंटरकॉम : 5430

11. आयकर समन्वय अनुभाग (आईटीसीसी)

विषयों की सूची:

1. विभिन्न पाक्षिक, मासिक एवं तिमाही रिपोर्टों अर्थात पीएम संदर्भ, एमपी / वीआईपी संदर्भ, महत्वपूर्ण घटनाओं आदि का समन्वय एवं संकलन।
2. वित्त मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (सीबीडीटी भाग) का समन्वय एवं संकलन।
3. बोर्ड की बैठक - आयोजन एवं अनुवर्ती कार्रवाई।
4. मुख्य आयुक्त सम्मेलन - आयोजन एवं अनुवर्ती कार्रवाई।
5. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समिति तथा क्षेत्रीय प्रत्यक्ष कर सलाहकार समितियों की संरचना एंव बैठकों से संबंधित कार्य।
6. संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक से संबंधित कार्य।
7. उपर्युक्त विषय से संबंधित सभी शिकायतें/अभ्यावेदन, संसद प्रश्न, परामर्शदात्री एवं सलाहकार समिति के कार्य।
8. बड़े बकाया मामलों में बकाया की वसूली की निगरानी।
9. आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XXIII की धारा 281, 281 ख

10. आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी एवं तीसरी अनुसूची अर्थात आयकर अधिकारी द्वारा कर की वसूली की कार्यप्रणाली तथा अवमानना की कार्यप्रणाली।
11. उपर्युक्त विषयों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत ओदश।
12. बोर्ड के परिपत्रों / अनुदेशों की विधीक्षा के लिए परिपत्र समूह बैठकें।
13. विभिन्न अनुभागों द्वारा जारी अनुदेशों / परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं को संख्याओं का आबंटन।
14. बोर्ड द्वारा जारी सभी परिपत्रों एवं अनुदेशों की अनुक्रमणिका तैयार करना।
15. सदस्य (आर एंड वी) का आंचलिक कार्य।

अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	निदेशक
दूरभाष : 23095492	दूरभाष : 23094020	दूरभाष: 23092939
इंटरकॉम : 5492	इंटरकॉम : 5461	इंटरकॉम : 5455

आयुक्त (सीटी एंड आईटी)	सदस्य (आर)
दूरभाष : 23092153	दूरभाष : 23093356
इंटरकॉम : 5445	इंटरकॉम : 5430

12. धन-कर

विषयों की सूची**:**

1. धनकर एवं व्यय कर तथा बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियमों से संबंधित सभी मामले एवं संदर्भ परंतु निम्नलिखित शामिल नहीं है:
   (क) धनकर के संबंध में दोहरा कराधान परिहार तथा एकपक्षीय राहत की मंजूरी के लिए अन्य देशों के साथ करारों से संबंधित सभी मामले एवं संदर्भ;
   (ख) धनकर / व्ययकर / बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियमों के संबंध में कर आयोजना एवं विधायन से संबंधित सभी मामले तथा नए विधायन से संबंधित अनुदेश जारी करना।
   (ग) धनकर/व्ययकर/बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियमों के अंतर्गत अर्थदंड से संबंधित सभी मामले; और
   (घ) इन अधिनियमों (धनकर, व्ययकर एवं बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम) के अंतर्गत कर अपवंचन से संबंधित सभी मामले, जिनमें शिकायतें एवं अपवंचन याचिकाएं शामिल हैं।
2. धनकर अधिनियम एवं व्ययकर अधिनियम की बजटिंग से संबंधित मामले।
3. धनकर / व्ययकर / बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियमों के संबंध में संसद प्रश्न एवं पीएसी तथा आंतरिक लेखा परीक्षा मामले।
4. मूल्यांकन प्रकोष्ठ तथा मूल्यांकन अधिकारियों की नियुक्ति से उत्पन्न बोर्ड को सभी संदर्भ।
5. धनकर / व्ययकर अपीलों से संबंधित क्षेत्राधिकार मामलों का हस्तांतरण।
6. धनकर / व्ययकर / बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियमों से संबंधित शिकायतें एवं अभ्यावेदन।
7. धनकर / व्ययकर / बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियमों से संबंधित सभी कोर्ट केस।
8. धनकर / व्ययकर / बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियमों से संबंधित सभी अन्य मामले।

अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	निदेशक
दूरभाष : 26161572	दूरभाष : 26161579	दूरभाष: 26161573
इंटरकॉम : 424 (एचवीबी)	इंटरकॉम: 441(एचवीबी)	इंटरकॉम : 407(एचवीबी)

सीआईटी (आईटी एंड सीटी)	सदस्य (आर)
दूरभाष : 23092153	दूरभाष : 23093356
इंटरकॉम: 5455 (एनबी)	इंटरकॉम : 5431 (एनबी)

13. अन्य कर

विषयों की सूची:

1. एस्टेट ड्यूटी / उपहार कर अधिनियमों से संबंधित सभी मामले एवं संदर्भ परंतु इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:
   (क) एस्टेट ड्यूटी / उपहार कर के संबंध में दोहरे कर का परिहार, अन्य देशों के साथ करार से संबंधित सभी मामले एवं संदर्भ।
   (ख) कर आयोजना एवं विधायन से संबंधित सभी मामले तथा एस्टेट ड्यूटी / उपहार कर अधिनियमों के संबंध में नए विधायन से संबंधित अनुदेश जारी करना।
   (ग) एस्टेट ड्यूटी / उपहार कर अधिनियमों के अंतर्गत अर्थदंड से संबंधित सभी मामले।
   (घ) शिकायत एवं कर अपवंचन याचिका समेत इन अधिनियमों (ईडी एंड जीटी) के अंतर्गत कर अपवंचन से संबंधित सभी मामले।
2. एस्टेट ड्यूटी / उपहार कर अधिनियमों से संबंधित क्षेत्राधिकार मामलों का हस्तांतरण।
3. एस्टेट ड्यूटी / उपहार कर अधिनियमों से संबंधित सभी कोर्ट केस।
4. एस्टेट ड्यूटी / उपहार कर अधिनियमों से संबंधित सभी अन्य विविध मामले।
5. आयकर अधिनियम, 1961 का अध्याय XX क, अचल संपत्तियों का अधिग्रहण।
6. आयकर अधिनियम, 1961 का अध्याय XX ग, अचल संपत्तियों का पूर्व क्रय।
7. आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX ग / XX क से संबंधित कोर्ट केस।
8. उपर्युक्त मदों से संबंधित शिकायतें एवं अभ्यावेदन।
9. उपर्युक्त से संबंधित संसद प्रश्न, पीएसी कार्य, परामर्शदात्री एवं सलाहकार समिति का कार्य।
10. प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) से संबंधित सभी गैर सांविधिक कार्य।
11. बीसीटीटी से संबंधित सभी गैर सांविधिक कार्य
12. नुकसानों का प्रतितुलन एवं अग्रनीत करना (अध्याय VI)।
13. अध्याय XIX अर्थात आयकर का प्रतिदाय।

अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव (ओटी)	उप सचिव
दूरभाष : 26161572	दूरभाष : 26161579	दूरभाष: 26161573
इंटरकॉम : 424 (एचवीबी)	इंटरकॉम : 441 (एचवीबी)	इंटरकॉम : 409 (एचवीबी)

सीआईटी (आईटी एंड सीटी)	सदस्य (आर)
दूरभाष : 23092153	दूरभाष : 23093356
इंटरकॉम : 5445 (एनबी)	इंटरकॉम : 5431 (एनबी)

14. टी पी एल अनुभाग

विषयों की सूची:

1. आयकर तथा अन्य प्रत्यक्ष करों के संबंध में कर नीति एवं विधायन से संबंधित सभी मामले जिसमें नए विधायन पर अनुदेश शामिल है।
2. वार्षिक वित्त अधिनियम तथा उस पर व्याख्यात्मक परिपत्र जारी करना।
3. आयकर नियमावली तथा अन्य प्रत्यक्ष करों से संबंधित नियमों में संशोधन की प्रोसेसिंग एवं ड्राफ्टिंग।
4. सांविधिक फार्मों का संशोधन।
5. राजसव भविष्यवाणी।
6. प्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में कर व्यय विवरण तैयार करना।
7. प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अंतर्गत निर्मित योजनओं की ड्राफ्टिंग एवं संशोधन।
8. अन्य मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित विधेयकों/अधिनियमनों में प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों पर टिप्पणियां।
9. गोवा, दमन एवं दीव तथा पांडिचेरी के मामले में कर रियायत आदेशों के प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित संदर्भ।
10. आयकर अधिनियम के अध्याय XXIII की धारा 293 क, 294 क, 295, 29 एंव 298 तथा धनकर अधिनियम के तदनुरूपी प्रावधान।

11. आयकर अधिनियम के नए अधिनियमनों / संशोधनों के विरूद्ध रिट के रूप में संवैधानिक चुनौतियों को अटेंड करना।
12. उपर्युक्त विषयों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 110 के अंतर्गत आदेश।
13. सभी अभ्यावेदन, संसद प्रश्न, पीएसी मामले, अधीनस्थ विधायन समिति, सचिव समिति, मंत्री समूह से पत्राचार तथा अन्य मंत्रालयों से प्राप्त, मंत्रिमंडल टिप्पणियों पर टिप्पणियां।
14. राष्ट्रपति के उद्बोधन, वित्त मंत्री के बजट भाषण, वित्त मंत्रालय की गतिविधियों पर रिपोर्ट, संसद सत्र के लिए विधाई कार्यक्रम के लिए सामग्री का समेकन।
15. वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण के लिए सामग्री तैयार करना।
16. वार्षिक आर्थिक संपादक सम्मेलन के लिए सामग्री तैयार करना।
17. प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधानों पर अध्ययन गठित करना और प्रत्यक्ष करों के माध्यम से राजस्व के नए अवसरों की तलाश करना।
18. सरकार द्वारा गठित विभिन समितियों एवं आयोगों की सिफारिशों की जांच एवं कार्यान्वयन।
19. कानून पारित होने के बाद पहले वर्ष के दौरान किसी प्रत्यक्ष कानून में निहित नए प्रावधानों को स्पष्ट करने वाले परिपत्र/अनुदेश।
20. राष्ट्रमंडल कर प्रशासन संघ से संबंधित कार्य।

अनुभाग अधिकारी
दूरभाष : 23092624
इंटरकॉम : 5494

ओएसडी/अवर सचिव
दूरभाष : 23093212
इंटरकॉम : 5468
दूरभाष : 23092742
इंटरकॉम : 5469
दूरभाष : 23092742
इंटरकॉम : 5470
दूरभाष : 23093212
इंटरकॉम : 5471

निदेशक
दूरभाष: 23093025
इंटरकॉम : 5446
दूरभाष: 23093765
इंटरकॉम : 5447
दूरभाष: 23092234
इंटरकॉम : 5448
दूरभाष : 23092964
इंटरकॉम : 5449

संयुक्त सचिव
दूरभाष : 23092859
इंटरकॉम : 5442
दूरभाष : 23092988
इंटरकॉम : 5444

सदस्य (एल एंड सी)
दूरभाष : 23092375

15. आयकर (जांच-I) अनुभाग
विषयों की सूची**:**

1. कर अपवंचन की सभी शिकायतें जिसमें सांसदों एवं अन्यों से प्राप्त शिकायतें शामिल हैं।
2. कर अपवंचन रोकने के लिए उपाय।
3. कर अपवंचन रोकने के लिए सुझाव।
4. सर्वेक्षण की कार्रवाई - सभी कर।
5. केन्द्रीय सूचना शाखाएं
6. जांच एवं प्रवर्तन एजेंसियों से संबंधित अंतर्विभागीय समन्वय
7. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 से संबंधित मामले
8. जांच से संबंधित ऐसे सभी मामले जो विशिष्ट रूप से जांच II या III को आवंटित नहीं हैं (अभियोजन एवं प्रशासन के कार्य को छोड़कर जो ओएसडी (कानून) के पास है जिनकी सहायता एडीआई (अभियोजन) द्वारा की जाती है)
9. उपर्युक्त कार्य से संबंधित सभी शिकायतें/अभ्यावेदन, संसद प्रश्न, पीएसी कार्य, परामर्शदात्री एवं सलाहकार समिति के कार्य।

अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	निदेशक
दूरभाष : 23095490	दूरभाष : 23095464	दूरभाष : 23093902
इंटरकॉम : 5490	इंटरकॉम : 5464	इंटरकॉम : 5458

सदस्य (जांच)
दूरभाष : 23094683
इंटरकॉम : 5427

16. आयकर **(**जांच**-II)** अनुभाग
विषयों की सूची**:**

1. आयकर अधिनियम की धारा 132, 132 क, एवं 132 ख से संबंधित सांख्यिकी एवं मामलों समेत तलाशी एवं जब्ती से संबंधित सभी मामले (जांच III को संदर्भित फलैश, वार्षिक एवं तिमाही रिपोर्टों से संबंधित कार्य)।
2. तलाशी मामलों / मूल्यांकन की निगरानी।
3. तलाशी एवं जब्ती के मामलों तथा कर निर्धारण के मामलों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत करने से संबंधित मामले।
4. उपर्युक्त से संबंधित सभी शिकायतें / अभ्यावेदन, संसद प्रश्न, पीएसी कार्य, परामर्शदात्री एवं सलाहकार समिति के कार्य।
5. आयकर महानिदेशक (जांच) के अधीन जांच निदेशालय के कार्य की निगरानी एवं समीक्षा।
6. उपर्युक्त के संबंध में धारा 119 के अंतर्गत आदेश।

अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	निदेशक
दूरभाष : 23095490	दूरभाष : 23092643	दूरभाष : 23092616
इंटरकॉम : 5490	इंटरकॉम : 5460	इंटरकॉम : 5457

सदस्य (जांच)
दूरभाष : 23094683
इंटरकॉम : 5427

17. आयकर **(**जांच**-III)** अनुभाग
विषयों की सूची**:**

1. मुखबीरों को पुरस्कार।
2. आयकर अधिनियम की धारा 271 (4 क), 273 क, धनकर अधिनियम की धारा 18(2 क)/18 ख तथा वित्त अधिनियम, 1965 की धारा 68 एवं 24 तथा स्वैच्छिक प्रकटन योजना, 1975, स्वैच्छिक प्रकटन योजना, 1997 के अंतर्गत स्वैच्छिक प्रकटन।
3. निस्तारण के सभी पुराने मामले तथा समस्याएं जो आयकर अधिनियम के अध्याय XIX, धनकर अधिनियम / उपहार कर अधिनियम के अध्याय V क से संबंधित हैं।
4. आयकर अधिनियम के अध्याय XXI के अंतर्गत अर्थदंड तथा प्रत्यक्ष कर अधिनियम के अंतर्गत तदनुरूपी अर्थदंड से संबंधित मामले।
5. विशेष जांच एवं केन्द्रीय प्रभार निदेशालय का कामकाज तथा कार्य की समीक्षा (जिसमें मामले का केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण शामिल है)।
6. उपर्युक्त के संबध में आयकर अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत आदेश।
7. उपर्युक्त से संबधित सभी शिकायतें, अभ्यावेदन, संसद प्रश्न, पीएसी कार्य तथा परामर्शदात्री एवं सलाहाकार समिति के कार्य।

अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	निदेशक
दूरभाष : 23094558	दूरभाष : 23092643	दूरभाष : 23092616
(सीएचआर)	इंटरकॉम : 5460	इंटरकॉम: 5457

सदस्य (जांच)
दूरभाष : 23094683

इंटरकॉम : 5427

18. ए एंड पीएसी-I अनुभाग
विषयों की सूची**:**

1. आंतरिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा से संबंधित सभी सामान्य मामले।
2. आंतरिक लेखा परीक्षा / संगठनात्मक ढांचे से संबंधित मामले।
3. आयकर, निगम कर, अतिरिक्त कर तथा ब्याज कर (पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर पश्चिम क्षेत्र प्रभार) के विशिष्ट मामलों पर लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संदर्भ।
4. डब्ल्यूटी, ईटी एवं उपहार कर पर विशिष्ट मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा संबंधी आपत्तियों पर भारत के सी एंड एजी से संदर्भ।
5. डब्ल्यूटी, डीटी एवं व्यय कर संबंधी विशिष्ट मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा संबंधी आपत्तियों के संबंध में सीआईटी से संदर्भ।
6. आयकर, निगम कर, अतिरिक्त कर तथा ब्याज कर (पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर पश्चिम क्षेत्र प्रभार) के संबंध में विशिष्ट मामलों पर लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों के संबंध में सीआईटी से संदर्भ।
7. डब्ल्यूटी, जीटी एवं ईटी से संबंधित मामलों में सी एंड एजी के कार्यालय से लेखा परीक्षा रिपोर्ट (राजस्व प्राप्तियां) प्रत्यक्ष कर के लिए प्रारूप लेखा परीक्षा पैराओं की प्रोसेसिंग।
8. आयकर, निगम कर, अतिरिक्त कर तथा ब्याज कर (पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात और उत्तर पश्चिम क्षेत्र प्रभार) से संबंधित व्यक्तिगत मामलों में सी एंड एजी के कार्यालय से लेखापरीक्षा रिपोर्ट (राजस्व प्राप्तियां) प्रत्यक्ष करों के लिए प्रारूप लेखा परीक्षा पैराओं की प्रोसेसिंग।
9. सी एंड एजी की रिपोर्ट में प्रकाशन के लिए अपेक्षित सांख्यिकी डाटा प्राप्त करना और प्रस्तुत करना तथा इस सिलसिले में सीएजी एवं आयकर विभाग के आयकर निदेशक (आरएसपी एंड पीआर) तथा मंत्रालय के अन्य अनुभागों से तालमेल स्थापित करना।
10. सी एंड एसीजी द्वारा संचालित तथा सीएंडएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल प्रणाली समीक्षा / मूल्यांकन की प्रोसेसिंग।
11. अनुभाग से संबंधित लेखा परीक्षा पैराओं के संबंध में पीएसी की बैठकों के दौरान दिए गए अनौपचारिक आश्वासनों पर कार्रवाई।
12. पीएसी रिपोर्टों में निहित सिफारिशों का समन्वय, निगरानी एवं प्रोसेसिंग तथा कृत कार्रवाई नोटिस प्रस्तुत करना।
13. उपर्युक्त मदों पर संसद प्रश्न।
14. आयकर अधिनियम की धारा 72 क, 72 क(1), क(3), क(2) (ii) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्राधिकार से संबंधित सभी मामले।
15. सदस्य (ए एंड जे), सीबीडीटी के आंचलिक मामले।

अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	निदेशक (पीएसी)
दूरभाष : 26177567	दूरभाष : 26162147	दूरभाष : 26177537
इंटरकॉम : 704 (एचवीबी)	इंटरकॉम : 905 (एचवीबी)	इंटरकॉम : 903 (एचवीबी)

सदस्य (एएंडजे)
दूरभाष : 23092831
इंटरकॉम : 5323

19. ए एंड पीएसी-II अनुभाग
विषयों की सूची**:**

1. आयकर, निगम कर, अतिरिक्त कर एवं ब्याज कर से संबंधित लेखा परीक्षा आपत्तियों पर भारत के सी एंड एजी से संदर्भ (कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र प्रभारों को छोड़कर)।

2. आयकर, निगम कर, अतिरिक्त कर एवं ब्याज कर पर लेखा परीक्षा की आपत्तियों के संबंध में आयकर आयुक्तों से संदर्भ (कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र प्रभारों को छोड़कर)।
3. आयकर, निगम कर, अतिरिक्त कर एवं ब्याज कर से संबंधित मामलों में सी एंड एजी के कार्यालय से प्राप्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट (राजस्व प्राप्तियां) के लिए प्रारूप लेखा परीक्षा पैराओं की प्रोसेसिंग (कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा, उत्तर पश्चिम क्षेत्र प्रभारों को छोड़कर)।
4. लोक लेखा समिति की बैठक से पूर्व एवं इसके बाद में इसकी सूचना प्राप्त करना एवं प्रस्तुत करना।
5. अनुभाग में संव्यवहृत लेखा परीक्षा पैराओं से संबंधित लोक लेखा समिति की बैठकों के क्रम में दिए गए अनौपचारिक आश्वासनों पर कार्रवाई करना।
6. लोक लेखा समिति की रिपोर्टों में निहित सिफारिशों का समन्वय एवं निगरानी करना जिसमें अनुभाग में संव्यवहृत लेखा परीक्षा पैराओं पर कृत कार्रवाई रिपोर्ट शामिल हैं।
7. उपर्युक्त मदों पर संसद प्रश्न।
8. सी एंड एजी की रिपोर्टों तथा पीएसी की रिपोर्टों पर कृत कार्रवाई रिपोर्टें तैयार करना।
9. ओ एंड एम रिपोर्ट / विवरणी समेत विविध मदें।
10. सी एंड एसीजी द्वारा संचालित एवं सी एंड एजी की लेखा परीक्षा रिपोर्टों में शामिल प्रणाली मूल्यांकन/ संवीक्षा की प्रोसेसिंग।
11. भारत के सी एंड एजी एवं संसद की पीएसी के साथ समन्वय से संबंधित सभी मामले, जिसमें संपर्क एवं पीआर शामिल है।

अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	निदेशक (पीएसी)
दूरभाष : 26177552	दूरभाष : 26162146	दूरभाष : 26177537
इंटरकॉम : 703 (एचवीबी)	इंटरकॉम : 950 (एचवीबी)	इंटरकॉम : 903 (एचवीबी)

सदस्य (एएंडजे)
दूरभाष : 23092831
इंटरकॉम : 5323

20. विदेश कर एवं कर अनुसंधान प्रभाग
विषयों की सूची**:**

1. भारत एवं विदेशों में प्रत्यक्ष कर कानूनों से संबंधित कर अनुसंधान। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के पुस्तकालय के लिए विदेश कर प्रभाग में उत्थान एवं अनुसंधान के प्रयोजनार्थ पुस्तकें एवं पत्रिकाएं मंगाना।
2. कर संधियों से संबंधित सभी मामले एवं संदर्भ।
3. कर संधियों एवं सूचना विनिमय के न्यायनिर्णयन खंडों के अंतर्गत सभी संदर्भ।
4. अनिवासियों/अन्य विदेशियों की कर देयता के संबंध में सभी मामले / संदर्भ।
5. अनिवासियों के साथ विदेशी सहयोग करार से संबंधित सभी मामले।
6. अनिवासियों द्वारा कर परिहार या अपवंचन की कार्यप्रणाली का अध्ययन।
7. आर बी आई / फेरा के प्राधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखना।
8. भारत में विदेशी प्रतिष्ठानों के प्रचालन से संबंधित सांख्यिकीय विवरणी / रिपोर्टें।
9. आयकर अधिनियम के अध्याय XII क से संबंधित सभी मामले।
10. यूएनओ/संबद्ध निकायों/कर्मचारियों की कर छूट से संबंधित सभी मामले एवं संदर्भ।
11. अनिवासियों के साथ तकनीकी, वित्तीय या व्यावसायिक सहयोग करार के संबंध में निवासियों के मामले में मूल्यांकन की समस्याओं के संबंध में सभी मामले एवं संदर्भ।
12. आयकर अधिनियम, 1961 के निम्नलिखित प्रावधानों से संबंधित सभी मामले/संदर्भ अर्थात: धारा 2(17) (vi), 2(30), 6(2), 9, 10 ए,10 बी, 10 सी, 10 डी,10 ई, 10(6), 10(7), 10(8), 10(9), 10(15), 40(ए)(i) और (iii), 42,44 बी,44 बीबी, 44 बीबीए, 44 बीबीबी, 44 सी, 44 डी, 44 डीए, 44 जी एंड 44 एच, 80 ओ, 80 आर, 80 आरआर, 80 आरआरए, 90,, 91, 92, 92 ए, 92 बी, 92 सी, 92 सीए, 92 डी, 92 ई और 92 एफ, 93, 115 ए, 115 एबी, 115 एसी, 115 बीबीए, 160(i), (।), 163, 172, 173, 182(3), 195,

230(9), 293 ए (विदेशी कंपनियों के संदर्भ में), आयकर नियमावली, 1962 का नियम 10 तथा अधिनियम की पहली अनुसूची का नियम 6

13. भारतीय कर कानूनों एवं कार्यप्रणाली के बारे में अंर्तराष्ट्रीय संघों, निकायों आदि को सूचना प्रस्तुत करना।
14. विदेशों में बस गए भारतीय मूल के व्यक्तियों समेत अनिवासियों के लिए वरणात्मक करदाता शैक्षिक सामग्री की तैयारी।
15. जरूरत पड़ने पर आयकर अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या - अनिवासियों के मामले में अग्रिम नियम।
16. उपर्युक्त विषयों के संबंध में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत आदेश।
17. उपर्युक्त विषयों से संबंधित सभी संसद प्रश्न।
18. राष्ट्रमंडल कर प्रशासन संघ के सेमिनार से संबंधित कार्य।
19. प्रत्यक्ष कर से संबंधित यूएन द्वारा आयोजित कर सेमिनार से संबंधित कार्य।
20. सी एंड एजी की रिपोर्ट में शामिल प्रारूप आडिट पैरा, आडिट पैरा तथा उन पर लोक लेखा समिति की सिफारिश।

एफटी एंड टीआर-।

अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव	अवर सचिव
दूरभाष : 26199028	दूरभाष : 26183794	दूरभाष : 26199027
इंटरकॉम : 701 (एचवीबी)		

निदेशक	संयुक्त सिचव	अध्यक्ष
दूरभाष :26106879 (एचवीबी)	दूरभाष : 26177558	दूरभाष : 26092648

एफटी एंड टीआर-।।

अनुभाग अधिकारी	अवर सचिव
दूरभाष : 26164910	दूरभाष : 26164910
इंटरकॉम : 278 (एचवीबी)	इंटरकॉम : 205 (एचवीबी)

निदेशक	संयुक्त सिचव	अध्यक्ष
दूरभाष : 26199026 (एचवीबी)	दूरभाष : 26104504	दूरभाष : 26092648

21. मुख्यालय एवं शिकायत प्रकोष्ठ

विषयों की सूची**:**

1. जनता या आयकर विभाग के स्टाफ से शिकायत याचिकाओं से संबंधित सभी मामले।
2. विभागीय प्रशिक्षण से संबंधित सभी मामले।
3. कर तैयारकर्ता योजनाएं।
4. लोकपाल योजना से संबंधित सभी मामले।
5. बड़ी करदाता यूनिट (एलटीयू)
6. अध्यक्ष, सीबीडीटी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

निदेशक (समन्वय)	अध्यक्ष
दूरभाष : 26092282	दूरभाष : 26092648
इंटरकॉम : 5363	इंटरकॉम : 5421

परिचय **(**आईटी पहल**)**

1. राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के वाणिज्यिक कर प्रशासन के कंप्यूटरीकरण की मिशन मोड परियोजना राष्ट्रीय ई-अभिशासन योजना का अंग है। वैट, सीएसटी आदि जैसे वाणिज्यिक करों के प्रशासन में भारी संख्या में डीलरों की हैंडलिंग शामिल होती है जो उपभोक्ताओं से कर का संग्रहण करने एवं राज्य के खातों में उसे जमा करने के लिए राज्य विभागों की ओर से काम करते हैं। यह योजना उनके वाणिज्यिक कर प्रशासन विभागों के कंप्यूटरीकरण के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए है ताकि वे व्यापक क्षेत्र आधार पर नेटवर्कित परिवारों में अपेक्षित हार्डवेयर एवं अप्लीकेशन साफ्टवेयर तेजी से इंस्टाल करने में समर्थ हो सकें।
2. योजना में राज्यों में आधुनिक कर प्रशासन परिवेश सृजित करने की कवायद है जो उपयुक्त रूप से समर्थकारी सूचना प्रौद्योगिकि द्वारा समर्थित है जो निवेश, आर्थिक विकास एवं भारत के साझे बाजार में मांग एंव सेवाओं के मुक्त प्रवाह की सुचालक है। योजना का उद्देश्य पहले से चल रही पहलों को शामिल करते हुए स्थानीय रूप से अभिमत आवश्यकताओं को समाहित करने के लिए लोच के साथ राज्यों में क्षमता का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों को बेहतर निष्पादन करने में समर्थ बनाने के लिए सभी पणधारियों में बेहतर सेवा सुपुर्दगी एवं क्षमता निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाली प्रमुख प्रक्रियाओं को परिवर्तित करना है तथा ऐसा करते समय यह प्रक्रिया रि-इंजीनियरिंग के प्रति सेवा उन्मुख दृष्टिकोण अपनाता है।
3. योजना का प्रस्ताव आईटी अवसंरचना में अभिचिन्हित अंतरों को शामिल करने के लिए सहायता प्रदान करना है ताकि बुनियादी करदाता सेवाओं की वेब आधारित सुपुर्दगी संभव हो। योजना के अंतर्गत समर्थित गतिविधियां आधिकारिक डीलर इंटरफेस, प्रत्युत्तर समय में कमी, त्वरित सेवा सुपुर्दगी, लेनदेन लागत में कमी, पारदर्शिता एवं जबावदेही में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगी। इस परियोजना के अंतर्गत डीलरों को प्रदान करने के लिए प्रस्तावित मुख्य ई-सेवाओं में शामिल है:

(1) मूल्य वर्धित कर (वैट) एवं केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीकरण
(2) वैट, सीएसटी एवं कर विवरणी ऑनलाइन दाखिल करना
(3) व्यवसाय कर समेत वाणिज्यिक करों का ऑनलाइन भुगतान
(4) सीएसटी संबद्ध घोषणापत्र/प्रमाणपत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन आवेदन।

वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 17 मार्च, 2010

वाणिज्यिक कर प्रशासन के कंप्यूटरीकरण के लिए मिशन स्वरूपी परियोजना

1. परिचय

1.1 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के वाणिज्यिक कर प्रशासन के कंप्यूटरीकरण की मिशन मोड परियोजना राष्ट्रीय ई-अभिशासन योजना का अंग है। वैट, सीएसटी आदि जैसे वाणिज्यिक करों के प्रशासन में भारी संख्या में डीलरों की हैंडलिंग शामिल होती है जो उपभोक्ताओं से कर का संग्रहण करने एवं राज्य के खातों में उसे जमा करने के लिए राज्य विभागों की ओर से काम करते हैं। यह योजना उनके वाणिज्यिक कर प्रशासन विभागों के कंप्यूटरीकरण के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता के लिए है ताकि वे व्यापक क्षेत्र आधार पर नेटवर्कित परिवारों में अपेक्षित हार्डवेयर एवं अप्लीकेशन साफ्टवेयर तेजी से इंस्टाल करने में समर्थ हो सकें।

1.2 योजना में राज्यों में आधुनिक कर प्रशासन परिवेश सृजित करने की कवायद है जो उपयुक्त रूप से समर्थकारी सूचना प्रौद्योगिकि द्वारा समर्थित है जो निवेश, आर्थिक विकास एवं भारत के साझे बाजार में मांग एंव सेवाओं के मुक्त प्रवाह की सुचालक है। योजना का उद्देश्य पहले से चल रही पहलों को शामिल करते हुए स्थानीय रूप से अभिमत आवश्यकताओं को समाहित करने के लिए लोच के साथ राज्यों में क्षमता का निर्माण करना है। इसका उद्देश्य सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों को बेहतर निष्पादन करने में समर्थ बनाने के लिए सभी पणधारियों में बेहतर सेवा सुपुर्दगी एवं क्षमता निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाली प्रमुख प्रक्रियाओं को परिवर्तित करना है तथा ऐसा करते समय यह प्रक्रिया रि-इंजीनियरिंग के प्रति सेवा उन्मुख दृष्टिकोण अपनाता है। प्रस्ताव तैयार करते समय तथा योजना लागू करते समय सभी राज्य निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।

2. लक्षित सेवाएं:

2.1 योजना का प्रस्ताव आईटी अवसंरचना में अभिचिन्हित अंतरों को शामिल करने के लिए सहायता प्रदान करना है ताकि बुनियादी करदाता सेवाओं की वेब आधारित सुपुर्दगी संभव हो। योजना के अंतर्गत समर्थित गतिविधियां आधिकारिक डीलर इंटरफेस, प्रत्युत्तर समय में कमी, त्वरित सेवा सुपुर्दगी, लेनदेन लागत में कमी, पारदर्शिता एवं जबावदेही में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगी। इस परियोजना के अंतर्गत डीलरों को प्रदान करने के लिए प्रस्तावित मुख्य ई-सेवाओं में शामिल है। अनुमान है कि योजना के कार्यान्वयन से राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र अपने डीलरों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने में समर्थ होंगे:

1. पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन, इसकी त्वरित प्रोसेसिंग जिसमें पूछताछ की इलेक्ट्रानिक प्रस्तुति शामिल है, यदि जरूरत हो, डीलरों द्वारा प्रत्युत्तरों की ऑनलाइन प्रस्तुति तथा प्रणाली द्वारा इसकी प्राप्ति और वेब पर आवेदन की स्थिति जानने की सुविधा।
2. प्रतिदाय आवेदन की ऑनलाइन प्रस्तुति, पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन, इसकी त्वरित प्रोसेसिंग जिसमें पूछताछ की इलेक्ट्रानिक प्रस्तुति शामिल है, यदि जरूरत हो, डीलरों द्वारा प्रत्युत्तरों की ऑनलाइन प्रस्तुति तथा प्रणाली द्वारा इसकी प्राप्ति और वेब पर आवेदन की स्थिति जानने की सुविधा।
3. डीलरों द्वारा विवरणी एवं आवधिक रिपोर्टें ऑनलाइन दाखिल करना, दाखिल विवरणियों / रिपोर्टों की स्वत: प्रोसेसिंग।
4. प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के कम से कम पांच बैंकों के माध्यम से कर का ई-भुगतान।

5. अंतर्राज्यीय लेनदेन में प्रयुक्त प्रपत्र समेत अधिकांश प्रपत्रों का ऑनलाइन निर्गम, दाखिल एवं प्रोसेसिंग। पूछताछ की इलेक्ट्रानिक प्रस्तुति, यदि जरूरत हो, डीलरों द्वारा ऑनलाइन प्रत्युत्तर की प्रस्तुति, प्रणाली द्वारा इसकी प्राप्ति तथा वेब पर किए गए अनुरोध की स्थिति जानने की सुविधा।
6. शिकायतें ऑनलाइन दाखिल करना और इसकी प्रोसेसिंग जिसमें वेब पर स्थिति जानने की सुविधा शामिल है।
7. राज्य पोर्टल पर लंबित मूल्यांकनों एवं अपीलों से संबंधित सूचना का नियमित प्रदर्शन।
8. लैंडलाइन, मोबाइल फोन नंबर एवं ईमेल पता प्रस्तुत करने एवं अपडेट करने की सुविधा।
9. पोर्टल पर वाणिज्यिक करों से संबंधित सभी अधिनियमों, नियमावलियों, अधिसूचनाओं, आदेशों, स्पष्टीकरणों आदि का प्रदर्शन।

2.2 डीलरों को इन सुविधाओं के अलावा, विकसित होने वाली प्रणाली निम्नानुसार में समर्थ होगी:

1. ईमेल/एसएमएस के माध्यम से डीलरों को स्वत: नोटिस एवं अनुस्मारकों का सृजन एवं सुपुर्दगी।
2. विभिन्न स्तरों पर विभिन्न मदों की लंबिता की सरल निगरानी।
3. डीलर लेजर का सृजन तथा अन्य राजस्व एजेंसियों के साथ सूचना विनियम के माध्यम से 360 डिग्री प्रोफाइल का सृजन।
4. व्यवसाय आसूचना रिपोर्टों का सृजन।
5. करदाता एवं आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणालियों की निगरानी।
6. अन्य राजस्व एजेंसियों, बैंकों, खजानों, आदि के साथ सृजन की सरल एवं सुव्यवस्थित हिस्सेदारी।

3. अनुसरण किए जाने के लिए अपेक्षित मुख्य बिन्दु**:**

3.1 इस योजना की सहायता से आईटी आधारित प्रणालियां विकसित करते समय राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से विशेष रूप से निम्नलिखित का सुनिश्चय करने की अपेक्षा है:

1. अप्लीकेशन साफ्टवेयर में वरीयत: एक केन्द्रीकृत वास्तुशिल्प है।
2. यह कि एनईजीपी के अंतर्गत स्थापित राज्य डेटा सेंटर, स्वैन, सीएससी का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है। यदि इनमें से कोई तत्काल प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को प्रयोग के लिए इनके उपलब्ध होने के यथाशीघ्र बाद इनका प्रयोग करने की स्पष्ट रणनीति बनानी होगी।
3. यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त आपदा समुत्थान एवं कारोबार सततता योजना बनाई गई है कि लंबी विद्युत कटौती, बाढ़, भूकंप, योजना के अंतर्गत निधियां समाप्त होने के बाद वायरस हमले की स्थिति में भी प्रणाली 24X365 चले।
4. प्रौद्योगिकी अवरूद्धता की रोकथाम तथा इंटरपोलोरिटी का सृजन करने के लिए खुले मानकों एवं रूपरेखाओं का प्रयोग किया जाता है।
5. अप्लीकेशन के प्रयोग के लिए तैयार होने के यथाशीध्र बाद मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन जैसी स्वतंत्र एजेंसी से अप्लीकेशन का प्रमाणन एवं परीक्षण किया जाता है।
6. प्रणाली इस तरह विकसित की जाती है कि यह माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के अबाध को प्रव्रजन को सुविधाजनक बनाती है।
7. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों का कडाई से पालन किया जाता है।

4. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित प्रतिबद्धता

4.1 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निम्नलिखित के संबंध में अपने प्रणालियों में स्पष्ट रूप से अपनी प्रतिबद्धता एवं स्पष्ट कार्य योजना का उल्लेख करने की अपेक्षा होगी:

1. कानूनों में अपेक्षित परिवर्तन करना (जैसे प्रपत्र, विवरणी आदि इलेक्ट्रानिक रूप से दाखिल करने में सुविधा प्रदान करने के लिए तथा ई-भुगतान करने के माध्यम से कर एवं फीस आदि का भुगतान करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर के प्रयोग का प्रावधान)।
2. 31/3/2011 तक पैन संबद्ध/आधारित डीलर पंजीकरण प्रणाली में परिवर्तन तथा अन्य राजस्व एजेंसियों के साथ सूचना के सीवन रहित आदान प्रदान की अनुमति।
3. लेखा पेशेवर एवं कानूनी सेवा प्रदाता आदि जैसे पेशेवरों को अपने परिसरों से सुविधा केन्द्र चलाने के लिए अधिकृत करना।
4. प्रदान की जाने वाली सेवाओं तथा ऐसी प्रत्येक सेवा का स्तर निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ताओं एवं प्रणधारियों से युक्त एक सलाहकार समिति गठित करना।
5. विभिन्न वेब आधारित सेवाएं प्रदान करने की समय सीमा का उल्लेख करते हुए एक नागरिक चार्टर बनाना एवं जारी करना।
6. किसी बाहरी एजेंसी से वार्षिक आधार पर सेवा सुपुर्दगी के निष्पादन का मूल्यांकन कराना तथा वरीयत: स्वयं राज्य पोर्टल पर निष्कर्षों को सार्वजनिक क्षेत्र में डालना।
7. सेवाओं की सुपुर्दगी की दीर्घावधिक संपोषणीयता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट योजना बनाना एवं इंगित करना।
8. अपनाई जाने वाली स्पष्ट कार्यान्वयन रूपरेखा को अंतिम रूप देना, उदाहरण के लिए आंतरिक सार्वजनिक निजी साझेदारी, गतिविधियों का बहिर्स्रोतन आदि।
9. परियोजना ई-मिशन टीम का गठन करना और एनईजीपी के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य एवं उपराज्य स्तर पर अपेक्षित जनशक्ति की तैनाती।
10. डीलरों समेत सभी पणधारियों के क्षमता निर्माण, जागरूकता सृजन, प्रशिक्षण एवं प्रबोधन के लिए अपेक्षित सभी कदम उठाना।
11. नीचे पैरा 5.4 में परियोजना अधिकृत समिति द्वारा जो भी शर्तें तय की जाएं उनका पालन करना।
12. पीईसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर निधियों का प्रयोग करना।

5. परियोजनाओं की प्रस्तुति एवं अनुमोदन

5.1 योजना के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने के लिए परियोजना प्रस्ताव संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा समय-समय पर विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं अनुदेशों के अनुसार तैयार किए जाएंगे तथा निदेशक (राज्य कर), राजस्व विभाग को प्रस्तुत किए जाएंगे।

5.2 सभी परियोजना प्रस्तावों में प्रस्ताव की प्रमुख विशेषता का उल्लेख करते हुए एक कार्यकारी सारांश होना चाहिए। प्रस्ताव की प्रमुख विशेषताएं संलग्न प्रारूप 1, 2, 3 (क्रमश: अनुबंध 1, 2, एवं 3) में संक्षेप में प्रस्तुत की जाएंगी तथा परियोजना प्रस्ताव में अनिवार्य रूप से शामिल की जाएंगी।

5.3 योजना के अंतर्गत जिन मदों/गतिविधियों के लिए समर्थन/निधियन उपलब्ध नहीं है उन्हें अनुबंध IV में सूचीबद्ध किया गया है ताकि इन्हें तैयार परियोजना प्रस्ताव में शामिल न किया जाए तथा योजना के अंतर्गत विचारार्थ प्रस्तुत न किया जाए।

5.4 राजस्व सचिव की अध्यक्षता में परियोजना अधिकृत समिति (पीईसी) व्यक्तिगत परियोजनाओं पर विचार करने एवं अनुमोदित करने के लिए गठित की गई है। इस परियोजना अधिकृत समिति की संरचना नीचे दी गई है:

1. राजस्व सचिव — अध्यक्ष

2.	अपर सचिव (राजस्व)	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव एवं एफए, सीबीईसी	सदस्य
4.	महानिदेशक (प्रणाली), सीबीईसी	सदस्य
5.	महानिदेशक (प्रणाली), सीबीडीटी	सदस्य
6.	आईटी विभाग का एक प्रतिनिधि	सदस्य
7.	संयुक्त सचिव (राजस्व)	सदस्य सचिव

इस समिति की बैठक में जिस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा उसके वैट/वाणिज्यिक कर विभाग के प्रभारी सचिव को परियोजना अधिकृत समिति की संबंधित बैठक में विशेष आमंत्रिती के रूप में बुलाया जा सकता है।

5.5 परियोजना अधिकृत समिति राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए व्यक्तिगत परियोजना संस्वीकृत करने के अलावा, राज्यों की विभिन्न एजेंसियों के बीच डाटा के हिस्सेदारी से संबंधित परियोजना भी संस्वीकृत कर सकती है। परियोजना अधिकृत समिति अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिए किसी विशिष्ट राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुमानित लागत से बचत, यदि कोई हो, का प्रयोग करने के लिए भी अधिकृत होगी। ऐसी बचत का प्रयोग पूर्वोत्तर राज्यों (जिन्हें नीवैट के अंतर्गत सहायता दी जा रही है), हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू व कश्मीर (जिन्हें एक अलग परियोजना के अंतर्गत सहायता दी जा रही है) तथा ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए परियोजनाएं संस्वीकृत करने के लिए किया जा सकता है जो दूसरी अवधि के दौरान प्रस्ताव भेज सकते हैं।

6. परियोजना अवधि एवं निधियन पैटर्न**:**

6.1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की परियोजनाएं सामान्यतया 3 साल के लिए संस्वीकृत की जाएंगी। कुछ विशेष परिस्थितियों/कारणों की स्थिति में, परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि अधिकतम 4 साल तक बढ़ाई जा सकती है।

6.2 परियोजना का घटकवार निधियन नीचे दिए गए मानदंड के अनुसार होगा:

क्रं सं.	घटक	राज्यों के लिए परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में सुझाया गया अनुमान	राज्य के लिए परियोजना लागत के प्रतिशत के रूप में अनुमान की ऊपरी सीमा	घटक की लागत का केन्द्रीय हिस्सा
1	साइट तैयार करना	10%	15%	50%
2	नेटवर्क उपकरण एवं बैटरी वैकअप समेत हार्डवेयर	45%	70%	75%
3	साफ्टवेयर संबद्ध लागत	20%	30%	75%
4	परियोजन ई-मिशन टीम, परामर्श एवं जनशक्ति, संस्वीकृति की तारीख से दो वर्ष तक आरएंडएम के लिए लागत	20%	30%	50%
5	अधिकारियों का क्षमता निर्माण, पणधारियों का आईईसी	4%	4%	50%
6	प्रमाणन, निष्पादन मूल्यांकन आदि	1%	1%	50%

6.3 यदि 1/4/2007 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए अनावर्ती व्यय को ग्राह्य माना जाता है, तो उसका रेट्रो निधियन होगा। जनशक्ति, प्रचालन एवं अनुरक्षण आदि जैसी साफ्ट कास्ट रेट्रो वित्तपोषण के लिए पात्र नहीं होगी। 1/4/2007 के बाद राज्यों द्वारा किए गए अनावर्ती व्यय का यह रेट्रो वित्तपोषण उपर्युक्त पैरा में उल्लिखित घटकवार सीलिंग एवं परियोजना अधिकृत समिति द्वारा अनुमोदित के अनुसार होगा।

7. निगरानी:

7.1 इस परियोजना के लिए राजस्व विभाग में एक परियोजना निगरानी यूनिट गठित की जाएगी। पीएमयू के मुखिया संयुक्त सचिव (राजस्व) होंगे। निदेशक (राज्य कर) इसके सदस्य सचिव होंगे। इस पीएमयू में अन्य सदस्य आवश्यकतानुसार शामिल किए जाएंगे। पीएमयू राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्ताव के समुचित मूल्यांकन एवं अनुमोदन में परियोजना अधिकृत समिति की सहायता करेगा। पीएमयू तिमाही आधार पर संस्वीकृत परियोजनओं की प्रगति की भी निगरानी करेगा। जरूरत पड़ने पर पीएमयू क्षेत्र का दौरा भी कर सकता है।

7.2 राजस्व विभाग में इस पीएमयू के अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से परियोजना के कार्यान्वयन के मार्गदर्शन एवं सबसे दक्ष ढंग से परियोजना गतिविधियों के सफल निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी कदम उठाने के लिए एनईजीपी दिशानिर्देश के अनुसार परियोजना ई-मिशन टीम भी गठित करने की अपेक्षा होगी।

8. निधियां जारी करने का पैटर्न:

योजना के अंतर्गत निधियां निम्नलिखित आधार पर जारी की जाएंगी:

(i) निधियों के केन्द्रीय हिस्से का निर्गम मुख्यत: मीलपत्थरों की उपलब्धि तथा अनुबंध III में उल्लिखित पैटर्न के अनुसरण से संबद्ध होगा।

(ii) संबंधित राज्य/संघ राज्य राज्य क्षेत्र से केन्द्रीय हिस्से के निर्गम के 30 दिन के अंदर समतुल्य राज्य हिस्सा जारी करने की अपेक्षा होगी। हिस्से के परोक्ष निर्गम के लिए समतुल्य राज्य हिस्सा केन्द्रीय हिस्सा निर्गम का कुछ अनुपात रखेगा, जो समग्र राज्य हिस्सा एवं केन्द्रीय हिस्सा के लिए मौजूद है।

(iii) केन्द्रीय हिस्से की पहली किस्त परियोजना अधिकृत समिति द्वारा परियोजना के अनुमोदन के ठीक बाद जारी की जाएगी।

(iv) केन्द्रीय हिस्से की उत्तरवर्ती किस्तें तभी जारी की जाएंगी जब अनुमोदित गतिविधियों पर कुल उपलब्ध निधि (केन्द्र एवं राज्य हिस्सा) का 60 प्रतिशत खर्च हो चुका होगा।

(v) जारी निधियों पर प्रोद्भूत ब्याज की राशि को परियोजना निधि का हिस्सा माना जाएगा तथा लेखाओं के अनुरक्षण, व्यय रिपोर्टिंग एवं उपयोग प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदि की प्रस्तुति के समय स्पष्टत: दर्शाया जाएगा।

(vi) अनुबंध v एवं vi के अनुसार क्रमश: भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्टों की समय पर प्रस्तुति केन्द्रीय हिस्से की सभी परवर्ती किस्तों की निर्मुक्ति के लिए आवश्यक है।

(vii) आवश्यक समझे जाने पर अपने किसी अधिकारी/एजेंसी से परियोजना गतिविधियों की जांच करना राजस्व विभाग के लिए खुला होगा। परियोजना गतिविधियों का समुचित निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को परियोजना गतिविधियों के संबंध में कोई निदेश जारी करना भी राजस्व विभाग के लिए खुला होगा।

(viii) किसी राज्य द्वारा अनुपयुक्त या अनियमित रूप से प्रयुक्त निधियों की वसूली करना भी राजस्व विभाग के लिए खुला होगा।

9. योजना के अंतर्गत व्यय

9.1 योजना के अंतर्गत व्यय मांग संख्या 41, राजस्व विभाग से बजट प्रावधानों से पूरा किया जाएगा।

9.2 प्रतिभागी राज्यों के लिए, व्यय मुख्य शीर्ष: 3601.01.113.05 "वैट संबंधी व्यय के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान" : 00.31- सहायता अनुदान के अंतर्गत मांग उपशीर्ष "संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सहायता अनुदान" के अंतर्गत प्रावधानों से पूरा किया जाएगा।

9.3 प्रतिभागी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए व्यय मुख्य शीर्ष: 3602.01.113.05 "वैट संबंधी व्यय के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान" : 00.31- सहायता अनुदान के अंतर्गत मांग उपशीर्ष "संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सहायता अनुदान" के अंतर्गत प्रावधानों से पूरा किया जाएगा।

10. लेखापरीक्षा

10.1 योजना के अंतर्गत निधियों का निर्गम एजी तथा राजस्व विभाग द्वारा चयनित किसी एजेंसी की लेखापरीक्षा के अधीन होगा।

10.2 संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार वार्षिक आधार पर परियोजना की वित्तीय लेखापरीक्षा करेगा। लेखा परीक्षक की टिप्पणी पर कृत कार्रवाई समेत लेखापरीक्षा रिपोर्ट संबंधित राज्य को प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति से 3 माह के अंदर प्रस्तुत करनी होगी।

(शिखर अग्रवाल)
निदेशक (राज्य कर)

अनुबंध-।।

क्रं सं.	मद	प्रस्ताव
1	ई-पंजीकरण	पहले ही आरंभ/- 2010 से आरंभ करने की योजना
2	ई-प्रतिदाय	पहले ही आरंभ/- 2010 से आरंभ करने की योजना
3	ई-विवरणी	पहले ही आरंभ/- 2010 से आरंभ करने की योजना
4	5 बैंकों के माध्यम से ई-भुगतान	पहले ही आरंभ/- 2010 से आरंभ करने की योजना
5	प्रपत्रों का आनलाइन निर्गम एवं प्रोसेसिंग	पहले ही आरंभ/- 2010 से आरंभ करने की योजना
6	ई निवारण सेवाएं	पहले ही आरंभ/- 2010 से आरंभ करने की योजना
7	स्वतंत्र एजेंसी से अप्लीकेशन का प्रमाणन एवं परीक्षण	नियोजित/अनियोजित
8	राज्य डाटा केन्द्रों का प्रयोग	किया गया/नियोजित/अनियोजित (कारण)
9	स्वैन का प्रयोग	किया गया/नियोजित/अनियोजित (कारण)
10	सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) का प्रयोग	किया गया/नियोजित/अनियोजित (कारण)
11	आपदा समुत्थान साइट (स्थान का उल्लेख करें)	पहले से क्रियाशील/ - पर नियोजित
12	परियोजना के अंतर्गत नियोजित ई-सेवा शुरू करने में सुविधा प्रदान करने के लिए वैट अधिनियम/नियमावली, खजाना संहिता आदि जैसे सभी कानूनों में आवश्यक परिवर्तन सुनिश्चित करने की तारीख/माह	किया गया/ - 2010 तक किया जाएगा
13	सुविधा केन्द्र चलाने के लिए पेशेवरों एवं कानूनी सेवा प्रदाताओं का प्राधिकार	किया गया/ - 2010 से आरंभ करने की योजना
14	किस तारीख तक 80 प्रतिशत वैट डीलर के पैन नम्बर संग्रहित किये जाएंगे।	- 2010
15	प्रयोक्ताओं/पणधारियों की सलाहकार समिति का गठन	किया गया/नियोजित (- 2010 तक क्रियाशील किया जाएगा।
16	ई-सेवाओं के लिए नागरिक चार्टर का निर्गम	किया गया/नियोजित (- 2010 तक जारी किया जाएगा।
17		
18	कार्यान्वयन रणनीति	बीओओटी माडल/ हार्डवेयर की सीधी खरीद एवं चयनित वेंडर के माध्यम से साफ्टवेयर का विकास
19	पीईएमटी को पूर्णत: क्रियाशील बनाने की तिथि	किया गया/ - 2010 तक किया जाएगा।
20	क्षमता निमार्ण, प्रशिक्षण एवं जागरूकता सृजन	नियोजित

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं अन्य ब्यौरा

- राजस्व मुख्यालय

- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण (सीस्टेट)
- निपटारा आयोग (आयकर)
- जब्त संपत्ति के लिए अपील अधिकरण (एटीएफपी)
  श्री पंकज गुप्ता, रजिस्ट्रार, एटीएफपी, चौथी मंजिल, लोकनायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली दूरभाष : 2460 3309, 2461 5488
- साफेम (एफओपी) अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी
- प्रबंध समिति

राजस्व विभाग
समन्वय अनुभाग

मैनुअल सं. **16**

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) (xvi) देखें)

राजस्व मुख्यालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं अन्य ब्यौरा

क्र. सं.	नाम, पदनाम एवं पता
1	सुश्री अनुजा सारंगी, निदेशक (टीसी/समन्वय), कमरा नं. 51-1, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली (दूरभाष: 23092282)
2	श्री एल के गुप्ता, निदेशक (टीसी), कमरा नं. 225-सी, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली, (दूरभाष: 23092878)
3	श्री मुकुल सिंघल, निदेशक (एचक्यू), कमरा नं. 49-ए, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली, (दूरभाष: 23092504)
4	श्री के के सबरवाल निदेशक (फिन/डीटी), कमरा नं. 70-बी, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली, (दूरभाष: 23093269)
5	श्रीमती मधु शर्मा निदेशक (राजभाषा), कमरा नं. 264-ए, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली, (दूरभाष: 23092499)
6	श्री पी वी सुब्बा राव, उप सचिव, (एनसी), कमरा नं. 48-ए, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली, (दूरभाष: 23092686)
7	श्री संजय सिंह, डीएफए (फिन/ईसी), कमरा नं. 71-बी, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली (दूरभाष: 23093978)
8	श्री वी पी भारद्वाज, उप सचिव, (प्रशा.), कमरा नं. 66-ए, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली (दूरभाष: 23093050)
9	श्री के एस शर्मा, उप सचिव, (पीआईटीएनडीपीएस), कमरा नं. 26, राजस्व विभाग, चर्च रोड हटमेंटस, नई दिल्ली (दूरभाष: 23093990-91)
10	श्री एस के सिंह, उप सचिव, (संसद एवं आरएंडआई), कमरा नं. 276-ई, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली (दूरभाष: 23093823)
11	श्री आर एल मीणा, एसटीओ(आरए), कमरा नं. 24, जीवन दीप बिल्डिंग, राजस्व विभाग, नई दिल्ली (दूरभाष: 23362749)

नई दिल्ली, 4 अक्टूबर, 2005
फा.सं.12/39/2005-समन्वय

क्र. सं.	नाम, सर्वश्री/सुश्री	पदनाम	कार्यालय का पता व फोन नं.
1	मोहिन्दर सिंह	सहायक रजिस्ट्रार	सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं सेवाकर, अपील अधिकरण, वेस्ट ब्लाक नं.11, आर के पुरम, नई दिल्ली-110066 फोन: 011-26103624
2	टी. विश्व प्रकाश	सहायक रजिस्ट्रार	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर, अपील अधिकरण, तीसरी,चौथी,पांचवी मंजिल, जय सेंटर, 34, पीडी मेलो रोड, मस्जिद (ईस्ट), मुम्बई-400009 फोन: 022-2371684

3	बिनीष कुमार के.एस.	सहायक रजिस्ट्रार	सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं सेवाकर, अपील अधिकरण, नं.26, हाडवेस रोड, शास्त्री भवन-एनेक्सी, पहली मंजिल, चेन्नई-600006 फोन: 044-28252306, 28234293
4	टी.के. सरकार	सहायक रजिस्ट्रार	सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर, अपील अधिकरण, 169, एजेसी बोस रोड़, बम्बू विला, सातवीं मंजिल, कोलकाता-14 फोन: 033-22849853
5	पी. नागराजन	सहायक रजिस्ट्रार	सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं सेवाकर, अपील अधिकरण, पहली मंजिल, डब्ल्यूटीसी बिल्डिंग, एफकेसीसीआई काम्पलेक्स, के जी रोड, बंगलौर-5660009 फोन: 080-22385861, 22353582

फाइल संख्या ए **10019/2/05-**एससी

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क समझौता आयोग

दिनांक 10.11.2005

सार्वजनिक सूचना सं. 01/2005

जनता का ध्यान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की ओर आकर्षित किया जाता है जो लोक प्राधिकरणों के नियंत्रण के अधीन सूचनाओं तक सुरक्षित पहुंच के लिए नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत सूचना वेबसाइट www.finmin.nic@the_ministry/dept_revenue/ headquarters/ settlement commission2/rtisection.htm पर उपलब्ध है।

2. उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क समझौता आयोग नई दिल्ली में अपने मुख्यालय तथा मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई में अतिरिक्त शाखाओं के साथ उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क के भुगतान से संबंधित मामलों में उठने वाले विवादों के निपटारे के लिए कार्य कर रहा है। यह जनता की सूचना के लिए है कि आयोग के संबंध में सूचना के प्रसार के लिए सूचना का अधिकारी अधिनियम, 2005

की धारा 5 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिकारियों को सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया गया है:

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	दूरभाष संख्या
1. प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली	श्री परमिंदर सिंह सोढी, अपर आयुक्त (सीसीईएससी के लिए नोडल अधिकारी)	011-24103854 (टेलीफैक्स)
2. अतिरिक्त न्यायपीठ, मुंबई	श्री यशोधन वानगे, अपर आयुक्त	022-26571616
3. अतिरिक्त न्यायपीठ, कोलकाता	श्री जे. सी. मिश्रा, संयुक्त आयुक्त	033-23581918 033-23581919
4. अतिरिक्त न्यायपीठ, चेन्नई	श्री पी. के. गोस्वामी, अपर आयुक्त	044-25216137

केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	दूरभाष संख्या
1. प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली	श्री डी. के. वर्मा, एसआईओ	011-26889463
2. अतिरिक्त न्यायपीठ, मुंबई	श्री एम. ए. दारूद्वाले, एओ	022-26571919
3. अतिरिक्त न्यायपीठ, कोलकाता	श्री पी. के. मुखर्जी, एसआईओ	033-23581918 033-23581919
4. अतिरिक्त न्यायपीठ, चेन्नई	श्री एस. के, राजगोपालन, एसआईओ	044-25216136

4. इसके अतिरिक्त यह सूचित किया जाता है कि सूचना के लिए अनुरोध केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी अथवा केन्द्रीय सहायक सूचना अधिकारी को लिखित में किया जाएगा। आवेदन शुल्क से साथ कोई अनुरोध प्राप्त होने पर केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने के यथाशीघ्र किन्तु हर हालत में 30 दिनों के भीतर यथा निर्धारित शुल्क के भुगतान पर या तो सूचना प्रदान करेगा अथवा कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

5. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अधिानियम की धारा 19 के तहत निर्णय प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल किया जा सकता है। दाखिल अपीलों के निपटान के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है:-

क्र. सं.	क्षेत्राधिकार	अधिकारी का नाम	दूरभाष संख्या
1	प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली	श्री अशोक कुमार गुप्ता, आयुक्त, सीसीईएससी, नई दिल्ली	011-24106625 011-26883095 (फैक्स)
2	अतिरिक्त न्यायपीठ, चेन्नई	श्री टी. सोमसुंदरम, आयुक्त, सीसीईएससी, चेन्नई	044-25216138 044-25216137 (फैक्स)
3	अतिरिक्त न्यायपीठ, मुंबई	श्री वी. के. शर्मा, उपाध्यक्ष, सीसीईएससी, मुंबई	022-26573000 022-26573001 022-26572425 (फैक्स)
4	अतिरिक्त न्यायपीठ, कोलकाता	श्री आर. मुखोपाध्याय, उपाध्यक्ष, सीसीईएससी, कोलकाता	033-23581918 033-23581933 (फैक्स)

इसे माननीय अध्यक्ष, सीसीईएससी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(अशोक कुमार गुप्ता)
सचिव

प्रतिलिपि: अंग्रेजी पाठानुसार प्रेषित।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क समझौता आयोग

दिनांक **14.2.2006**

सार्वजनिक सूचना सं. **01/2005** दिनांक **10.11.05** के संबंध में शुद्धिपत्र सं. **2**

उक्त सार्वजनिक सूचना में पैरा 2 में सारणी 1 को निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाए:

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी

क्र. सं.	अधिकार क्षेत्र	अधिकारी का नाम	दूरभाष संख्या
1.	प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली	सुयक्त आयुक्त (सीसीईएससी के लिए नोडल अधिकारी)	011-24103854 (टेलीफैक्स)
2.	अतिरिक्त न्यायपीठ, मुंबई	श्री यशोधन वानगे, संयुक्त आयुक्त	022-26571616
3.	अतिरिक्त न्यायपीठ, कोलकाता	श्री एस. पी. मिश्रा, संयुक्त आयुक्त	033-23581918 033-23581919
4.	अतिरिक्त न्यायपीठ, चेन्नई	श्री पी. के. गोस्वामी, अपर आयुक्त	044-25216137

तथा पैरा 5 में सारणी को निम्लिखित रूप में पढ़ा जाए:

क्र. सं.	अधिकार क्षेत्र	सीपीआईओ के निर्णय के संबंध में अपीलीय प्राधिकारी का नाम	दूरभाष संख्या
1	प्रधान न्यायपीठ, नई दिल्ली	श्री अशोक कुमार गुप्ता, आयुक्त, सीसीईएससी, नई दिल्ली	011-24106625 011-26883095 (फैक्स)
2	अतिरिक्त न्यायपीठ, चेन्नई	श्री टी. सोमसुंदरम, आयुक्त, सीसीईएससी, चेन्नई	044-25216138 044-25216137 (फैक्स)
3	अतिरिक्त न्यायपीठ, मुंबई	श्री पी. के. सिरोही, आयुक्त सीसीईएससी, मुंबई	022-26573000 022-26573001

			022-26572425 (फैक्स)
4	अतिरिक्त न्यायपीठ, कोलकाता	श्री सी. एम. मेहरा, आयुक्त, सीसीईएससी, कोलकाता	033-23581918 033-23581933 (फैक्स)

(अशोक कुमार गुप्ता)
सचिव

नियम पुस्तिका - XVI

जन सूचना अधिकारी का नाम

श्री राजीव रंजन
सहायक आयुक्त
सक्षम प्राधिकारी, एसएएफईएमए एवं एनडीपीएसए का कार्यालय

9 वां तल, लोक नायक भवन,

खान मार्केट, नई दिल्ली

दूरभाष सं. 24655807

नियम पुस्तिका - XVI

सीसीएफ संगठन के जन/सहायक सूचना अधिकारियों के नाम, पते व अन्य विवरण

क्र. स.	नाम व पदनाम	नामित पद	कार्यालय का पता	दूरभाष सं.
1	श्री ए. के.	जन सूचना	सरकारी अफीम एवं	011-

	सक्सेना, महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)	अधिकारी/सीपीआईओ	क्षारोद कारखाना, सरस्वती हाउस, 5वां तल, 27, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019	26417475 011-26420841
2	श्री वी. डी. चौधरी, सहायक मुख्य कारखाना नियंत्रक	सहायक जन सूचना अधिकारी	-पूर्वोक्त-	-पूर्वोक्त-
3	श्री पी. डी. बमनानी, प्रशासनिक अधिकारी	सहायक जन सूचना अधिकारी	सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, 11/77, माल, मोरा, ग्वालियर, 474006 (म. प्र.)	0751-2368125 0751-2368347
4	श्री प्रेम चन्द्र, महाप्रबंधक	जन सूचना अधिकारी/सीपीआईओ	सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) पिन-233001	0548-2220237
5	श्री श्यामधर प्रबंधक	सहायक जन सूचना अधिकारी	सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, गाजीपुर (उ.प्र.) पिन-233001	0548-2221201
6	डा. साधना बनर्जी महाप्रबंधक	जन सूचना अधिकारी/सीपीआईओ	सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म. प्र.) पिन-458441	07423-220199
7	श्री एच. पी. कनाडे प्रबंधक	सहायक जन सूचना अधिकारी	सरकारी अफीम एवं क्षारोद कारखाना, नीमच (म. प्र.) पिन-458441	07423-220444

प्रस्तावना (भारतीय स्टांप अधिनियम)

1. भारतीय स्टांप अधिनियिम, 1899 (1899 का 2) एक राजकोषीय अधिनियम है जो लेख रिकार्डिंग संव्यवहारों पर स्टांप के रूप में कर लगाने से संबंधित कानून बनाता है और संघ द्वारा संघ सूची (यथा विनिमय का बिल, चेक, प्रोनोट, लदान का बिल, क्रेडिट पत्र, बीमा पालिसी, शेयर का हस्तांतरण, डिबेंचर, प्रतिनिधि पत्र एवं प्रप्तियां) के लेख 91 में विनिर्दिष्ट लेखों पर स्टांप शुल्क लगाया जाता है। उपरोक्त संघ सूची के लेख 91 में उल्लिखित लेखों के अतिरिक्त अन्य लेखों पर स्टांप शुल्क राज्य सूची के लेख 63 के अनुसार राज्यों द्वारा लगाया जाता है। शुल्क की दरों से संबंधित प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य प्रावधान समवर्ती सूची के लेख 44 के प्रभाव से संघ तथा राज्य दोनों के वैधानिक शक्तियों के अन्तर्गत आता है। सभी लेखों पर स्टांप शुल्क संबंधित राज्यों द्वारा संग्रहीत एवं धारित किया जाता है।

2. भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की शुरूआत से लेखों के उपयोग में बड़े पैमाने पर बदलाव आने के कारण इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता कुछ समय से महसूस की जा रही है। विधि आयोग ने 1976 में प्रस्तुत अपनी 76 वीं रिपोर्ट में इस संबंध में बहुत सिफारिश की थी। इस कानून को समय के अनुकूल बनाने के लिए अब भारतीय स्टांप अधिनियम,1899 में व्यापक संशोधन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रस्तावना (वस्तु एवं सेवा कर)

1. एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के कार्यान्वयन पर केलकर टास्क फोर्स ने यह स्पष्ट किया कि यद्यपि भारत में अप्रत्यक्ष कर नीति 1986 से वैट सिद्धांत की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है तथापि वस्तुओं एवं सेवाओं के कराधान की विद्यमान प्रणाली में अभी भी कई समस्याएं है और वैट सिद्धांत पर आधारित एक विस्तृत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का सुझाव दिया। जीएसटी प्रणाली को अप्रत्यक्ष कराधान का सरल, पारदर्शी एवं दक्ष प्रणाली बनाने का लक्ष्य है जैसा कि विश्व के 130 से अधिक देशों द्वारा अपनाया गया है। इसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के एकीकृत तरीके से कराधान शामिल है क्योंकि वस्तुओं एवं सेवाओं के मध्य सीमा रेखा की अस्पष्टता ने अतार्किक रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के कराधान को अलग कर दिया है।

2. केन्द्र और राज्यों के विद्यमान विविध कर संरचनाओं को प्रतिस्थापित करने के लिए एक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरूआत न केवल वांछनीय है बल्कि उभरते हुए आर्थिक परिदृश्य में अनिवार्य भी है। वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण में सेवाओं का विलोमत: उत्तरोत्तर उपयोग या उपभोग होता है। सेवाओं के पृथक कराधान में प्राय: संव्यवहार मूल्य को कराधान हेतु वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में विभाजित करने की अवश्यकता पड़ती है जिससे और अधिक जटिलता आती है और प्रशासन एवं अनुकूलता लागत बढ़ जाती है। विभिन्न केन्द्र एवं राज्य करों के जीएसटी प्रणाली में एकीकरण से संग्रहीत कर इनपुट के लिए पूर्ण क्रेडिट देना संभव हो पाएगा। जीएसटी के वैट सिद्धांत के आधार पर गंतव्य आधारित उपभोज्य कर होने के कारण यह वर्तमान जटिल कर संरचना के कारण होने वाले आर्थिक विकृति को हटाने में बहुत सहायक होगा और एक सामूहिक राष्ट्रीय बाजार के विकास में सहायक होगा।

3. अप्रैल, 2010 तक एक राष्ट्र स्तरीय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रारंभ करने का प्रस्ताव पहली बार वित्तीय वर्ष 2006-07 के बजट भाषण में प्रस्तुत किया गया। चूंकि प्रस्ताव में न

केवल केन्द्र अपितु राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष करों का सुधार/पुन:संरचना शामिल था इसलिए जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए एक डिजाइन और रोड मैप तैयार करने का उत्तरदायित्व राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) को सौंपा गया। अप्रैल, 2008 में ईसी ने "भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के लिए एक माडल एवं रोड मैप" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें जीएसटी की संरचना एवं डिजाइन के बारे में व्यापक सिफारिशे की गई। रिपोर्ट के उत्तर में राजस्व विभाग ने प्रस्तावित जीएसटी के डिजाइन एवं संरचना में शामिल किए जाने हेतु कुछ सुझाव दिए। भारत सरकार तथा राज्यों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर ईसी ने परिचर्चा करने तथा सभी पणधारकों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से 10 नवम्बर, 2009 को भारत में वस्तु एवं सेवा कर पर अपना पहला परिचर्चा पेपर जारी किया।

4. ईसी ने देश के लिए एक दोहरे जीएसटी माड्यूल का प्रस्ताव किया। इस दोहरे जीएसटी माड्यूल को केन्द्र ने स्वीकार किया। इस माडल के अन्तर्गत जीएसटी में दो घटक यथा केन्द्र द्वारा लगाया एवं संग्रहीत किया जाने वाला केन्द्रीय जीएसटी एवं राज्यों द्वारा लगाया एवं संग्रहीत किया जाने वाला राज्य जीएसटी था।

1. राज्यों एवं संघ क्षेत्रों द्वारा बिक्री कर के एक समान नियत दर के कार्यान्वयन की निगरानी, बिक्री कर आधारित प्रोत्साहन योजना को हटाने की निगरानी, राज्यों को वैट की ओर पदांतरण हेतु लक्ष्य एवं पद्धति का निर्णय एवं देश में विद्यमान केन्द्रीय बिक्री कर प्रणाली में सुधार की निगरानी के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली एवं मेघालय के माननीय राज्य वित्त मंत्रियों को सदस्य के रूप में नामित कर राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) 17 जुलाई, 2000 को गठित की गई। तदनन्तर, आसाम, तमिलनाडु, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड एवं राजस्थान के माननीय राज्य वित्त मंत्रियों को भी अधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों के रूप में अधिसूचित किया गया। 12 अगस्त, 2004 को भारत सरकार ने सभी राज्यों के माननीय राज्य वित्त/कराधान मंत्रियों को इसके सदस्यों के रूप में नामित कर अधिकार प्राप्त समिति को पुनर्गठित किया।
2. इस निकाय को बाद में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के अधीन एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया। पंजीकरण प्रमाणपत्र 17 अगस्त, 2004 को जारी किया गया। वर्तमान में डा. असीम के. दासगुप्ता, माननीय वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष हैं और विधानसभा, अपर सचिव (राजस्व), भारत सरकार तथा सदस्य सचिव, अधिकार प्राप्त समिति सहित सभी राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रों के वित्त/कराधान के प्रभारी सभी मंत्री अधिकार प्राप्त समिति के सदस्य हैं। अधिकार प्राप्त समिति का कार्यालय दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली में है जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने आवास एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की है। सोसाइटी को अपने प्रशासनिक व्यय को पूरा करने तथा विभिन्न अन्य गतिविधियां चलाने के लिए राज्य सरकारों तथा भारत सरकार से अंशदान प्राप्त हो रहे हैं।
3. हाल ही में, ईसी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से तेरहवें वित्त आयोग ने ईसी को 30 करोड़ रू. अनदु◌ान देने की सिफारिश की ताकि वे जीएसटी संबंधी अनुसंधान कार्य जारी रख सकें और क्षमता संवर्धन कर सकें। तदनुसार इस प्रयोजनार्थ एक संग्रह बनाने के लिए ईसी को 30 करोड़ की राशि जारी की गई।

प्रस्तावना (केन्द्रीय बिक्री कर)

1. संविधान (छठा संशोधन) अधिनियम, 1956 के माध्यम से संविधान में कतिपय संशोधन किए गए जिससे:-

क. अन्तर-राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य में वस्तुओं की खरीद या बिक्री पर कर को स्पष्ट रूप से संसद के वैधानिक अधिकार-क्षेत्र के दायरे के अधीन लाया गया है;

ख. जहां अन्तर-राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य में वस्तु विशेष महत्व का है वहां राज्यों के भीतर वस्तुओं की खरीद अथवा बिक्री पर कर लगाने के संबंध में राज्य विधानसभाओं की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

2. इस संशोधन ने अन्तर-राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान या किसी राज्य के बाहर निर्यात अथवा आयात के दौरान कोई खरीद अथवा बिक्री के समय निर्धारण करने के लिए नियम बनाने हेतु भी संसद को अधिकृत किया है।

3. तदनुसार केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) अधिनियम, 1956 बनाया गया जो 05.01.1957 को प्रभावी हुआ। आरंभ में सीएसटी की दर 1 प्रतिशत थी जिसे बढ़ाकर पहले 2 प्रतिशत, उसके बाद 3 प्रतिशत और 1 जुलाई, 1975 से 4 प्रतिशत किया गया। सीएसटी अधिनियम, 1956 में अन्तर-राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य में कुछ वस्तुओं को विशेष महत्व का वस्तु घोषित करने तथा ऐसे वस्तुओं के कराधान पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था है। सीएसटी लगाने से प्राप्त होने वाला पूरा राजस्व जिस राज्य में बिक्री होती है उस राज्य द्वारा संग्रहीत व रखा जाता है। अधिनियम में आयात व निर्यात का कराधान शामिल नहीं है।

4. सीएसटी के उद्गम आधारित कर होने के कारण यह मूल्य वर्धित कर से भिन्न है जो स्वाभाविक इनपुट कर क्रेडिट प्रतिदाय के साथ गंतव्य आधारित कर है। पंजीकृत विक्रेताओं के मध्य अन्तर-राज्यीय बिक्री के लिए केन्द्रीय बिक्री कर की दर 1 अप्रैल, 2007 से 4 प्रतिशत से कम करके 3 प्रतिशत करने के लिए केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में एक संशोधन किया गया। इस संशोधन के माध्यम से सरकारी विभागों से फार्म-डी प्रस्तुत करके रियायती सीएसटी दर पर अन्तर-राज्यीय खरीद की सुविधा वापस ले लिया गया। संशोधन के पश्चात सरकार के लिए अन्तर-राज्यीय बिक्री पर सीएसटी की दर वैट/राज्य बिक्री कर दर के समान होगी।

5. केन्द्रीय बिक्री कर की दर को 1 जून, 2008 से 3 प्रतिशत से और कम करके 2 प्रतिशत किया गया। सीएसटी की दर पहले 4 प्रतिशत से कम करके 3 प्रतिशत और उसके बाद 3 प्रतिशत से कम करके 2 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रारंभ के पूर्ववर्ती के रूप में किया गया क्योंकि सीएसटी, जीएसटी की अवधारणा और डिजाइन से भिन्न था।

फा. सं. 34/67/2007-एसटी

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई, 2008

सेवा में,

संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों,

वित्त/कराधन विभागों के सचिव।

<u>विषय: मूल्य वर्धित कर (वैट) के प्रस्तुतीकरण के कारण राजस्व हानि के मामले में राज्यों/संघ क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति।</u>

महोदय/महोदया,

मुझे उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के पूर्व अनुदेशों, जो पत्र फा. सं. 21/1/2004-एसटी (भाग।।), दिनांक 3 फरवरी, 2005, फा. सं. 34/67/2005-एसटी, दिनांक 1 जून, 2005 तथा फा. सं. 34/114/2004-एसटी(भाग।), दिनांक 20 जून, 2005 के तहत भेजे गए थे, का उल्लेख करने और यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा अभिव्यक्त कठिनाइयों के आलोक में मामले पर विचार किया गया और ध्यान पूर्वक जांच के पश्चात सभी पूर्व अनुदेशों के अधिक्रमण में इस विषय पर निम्नलिखित संशोधित समेकित अनुदेशों को जारी करने का निर्णय लिया गया है:

<u>वैट के प्रस्तुतीकरण के कारण राज्यों को भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति तथा राजस्व हानि की गणना का तौर-तरीका</u>

2. वैट के प्रस्तुतीकरण के कारण राज्यों को भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति तथा राजस्व हानि की गणना के लिए विस्तृत तरीका निम्नवत होगा:

(क) परिकलन के प्रयोजनार्थ वर्ष 2005-06 को आधार वर्ष के रूप में अपनाया जाएगा।

(ख) इस प्रयोजनार्थ ध्यान में रखे जाने वाले कर राजस्व में सामान्य बिक्री कर के साथ-साथ अन्य राज्य कर, जैसे क्रय कर, प्रवेशकर (स्थानीय चुंगी के बदले में प्रवेश कर के अतिरिक्त), टर्नओवर कर के साथ-साथ इनमें से किसी कर पर अधिभार जिसे वैट में सम्मिलित किया जाना है, का प्रतिदाय राजस्व का मूल्य शामिल है। तथापि, इन करों से राजस्व को वैट में शामिल किए जाने वाली सीमा तक और इनको शामिल किए जाने की तारीख से ही ध्यान में रखा जाएगा। तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि वस्तुओं जैसे पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, शराब, लाटरी टिकट मदों, जिसे वैट से बाहर रखा गया है और जो 20 प्रतिशत कर के न्यूनतम नियत दर के अधीन है, से कर राजस्व को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इन मदों पर कर (चाहे सामान्य बिक्री कर कानून या किसी अन्य कानून के अन्तर्गत हो) को वैट में शामिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार विलासिता कर के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि "वस्तुओं पर विलासिता कर" लगाना राज्यों के वैधानिक सामर्थ्य से बाहर है और इसलिए "वस्तुओं पर विलासिता कर" से कर राजस्व को

परिकलन से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि ऐसे कर को वैट में शामिल करने का प्रश्न नहीं उठता।

ग) वर्ष 2005-06 से आगे के लिए प्रस्तावित राजस्व की गणना के प्रयोजनार्थ कर राजस्व की औसत वृद्धि दर की गणना के लिए 1999-2000 से 2004-05 की अवधि के कर राजस्व को ध्यान में रखा जाएगा। वर्ष 1999-2000 पर वर्ष 2000-01 के लिए वृद्धि दर से शुरू करके प्रत्येक वर्ष के लिए वार्षिक वृद्धि दर निकाला जाएगा। उसके बाद 3 सर्वश्रेष्ठ वृद्धि दर को चुना जाएगा और औसत वार्षिक वृद्धि दर निकालने के लिए इन तीन वृद्धि दरों के सामान्य अंकगणितीय औसत को लिया जाएगा। तथापि, तीन नए गठित राज्यों अर्थात उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड और उनके संबंधित मूल राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के भी मामलों में वृद्धि दर की गणना के लिए संगत अवधि 2001-02 से 2004-05 होगी क्योंकि नए गठित राज्य 1 नवम्बर, 2000 को अस्तित्व में आए। इन परिकलनों के प्रयोजनार्थ शुरूआत में वर्ष 2003-04 तक के लिए एजी प्रमाणित आंकड़े तथा वर्ष 2004-05 के लिए संबंधित राज्य के वित्त सचिव द्वारा प्रमाणित आंकड़ों को लिया जाएगा और 2004-05 के लिए एजी प्रमाणित आंकड़ों की प्राप्ति पर नियत समयावधि में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

घ) आधार वर्ष पर आधारित निवल राजस्व तथा उपरोक्त परिकलित औसत वार्षिक वृद्धि दर के आधार पर वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा 2007-08 के लिए प्रस्तावित राजस्व की गणना की जाएगी। ऐसे प्रस्तावित राजस्व तथा वास्तविक राजस्व के बीच का अंतर वैट के प्रस्तुतीकरण के कारण हुई हानि होगी जिसके लिए राज्यों को 2005-06 के दौरान ऐसी हानि के 100 प्रतिशत 2006-07 के दौरान हानि के 75 प्रतिशत तथा 2007-08 के दौरान हानि के 50 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाएगा।

ङ) राज्यों को क्षतिपूर्ति का भुगतान सहायता अनुदान के रूप में मासिक आधार पर किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ संचयी आधार पर प्रस्तावित निवल राजस्व सदृश अवधि के दौरान 2004-06 के दौरान वास्तविक राजस्व के आधार पर वर्ष 2005-06 तथा अनुवर्ती वर्षों के दौरान प्रत्येक माह के अंत तक तथा औसत वार्षिक वृद्धि दर का प्रयोग करते हुए निकाला जाएगा। ऐसे प्रस्तावित संचयी राजस्व की तुलना प्रत्येक माह के अंत में वास्तविक संचयी राजस्व के साथ की जाएगी। यदि उसमें निवल संचयी हानि है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी।

च) क्षतिपूर्ति का भुगतान अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा अंतिम रूप दिए गए वैट के डिजाइन (अभिसरण मापदण्ड सहित) का पालन करने वाले राज्यों पर निर्भर होगा। इस प्रयोजनार्थ संदर्भ तिथि संघ सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति पैकेज के अनुमोदन की तारीख अर्थात 27 जनवरी, 2005 होगी। इसलिए, यह पैकेज ईसी द्वारा 27 जनवरी, 2005 तक लिए गए निर्णयों को शामिल करेगा जैसा कि खाद्यान्न तथा चाय के संबंध में है।

3. उपर्युक्त परिकलन को सुसाध्य बनाने के उद्देश्य से राज्य/संघ क्षेत्र संलग्न प्रोफोर्मा-I, II एवं III में अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करेंगे।

स्वीकृत वैट डिजाइन से विचलन का प्रबंध:

4. यदि कोई राज्य उपर्युक्त पैरा 2(च) में यथा उल्लिखित स्वीकृत डिजाइन से कुछ विचलन करता है तो ऐसे विचलन के कारण हुई राजस्व हानि को क्षतिपूर्ति पैकेज में शामिल नहीं किया जाएगा और राज्यों/संघ क्षेत्रों को भुगतान किए जाने वाले क्षतिपूर्ति की राशि में समुचित समायोजन किया जाएगा। तथापि, यह निम्नलिखित अपवादों/स्पष्टीकरणों के अधीन होगा:

(क) औद्योगिक/कृषि आगमों पर 4 प्रतिशत के हिसाब से कर लगाया जा सकता है, यद्यपि यदि उनको पहले गलती से 12.5 प्रतिशत पर रखा गया है। एक निर्देश नियम के रूप में जब तक कम से कम 50 प्रतिशत सामग्रियों को आगमों के रूप में उपयोग किया जाएगा उस पर 4 प्रतिशत की दर से कर लगाया जा सकता है।

(ख) नमक तथा खड़ी की दरों में ईसी द्वारा स्वीकृत परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया गया है।

(ग) राज्य/संघ क्षेत्र सीएसडी कैंटीनों को वैट के भुगतान से छूट दे सकते है।

(घ) ईसी द्वारा पहले ही यथा निर्धारित छोटे व्यापारियों के लिए सीमा रेखा के संबंध में यदि राज्य/संघ क्षेत्र 5 लाख रूपए की सम्मत राशि से अधिक सीमा रेखा नियत करते हैं तो उसकी वजह से होने वाली राजस्व हानि संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र द्वारा वहन किया जाएगा।

5. वैट दरों में विचलन के कारण राजस्व हानि के परिकलन को सरल बनाने के उद्देश्य से राज्य/संघ क्षेत्र उन सामग्रियों/मदों जहां स्वीकृत वैट दरों से विचलन हुआ है, को शामिल करते हुए

संलग्न प्रोफार्मा-IV सूचना प्रस्तुत करेंगे। विचलन के कारण किसी मद के पूरी तरह से वैट मुक्त होने के मामले में प्रोफार्मा के कालम 5 एवं 6 में उस समय प्रचलित बिक्री कर की दर से संबंधित सूचना सहित वर्ष 2004-05 (बिक्री कर पद्धति के अन्तर्गत) के लिए कर संग्रहण के आंकड़े प्रस्तुत किए जाएंगे। तथापि, यदि वह मद पहले भी छूट प्राप्त थी तो राज्य संभावित राजस्व हानि का अपना आंकलन दे सकते हैं। इसी प्रकार, जहां विचलन वैट दरों के अलावा अन्य मापदंडों के संबंध में है तो राज्य ऐसे विचलन के कारण राजस्व हानि का एक आंकलन प्रस्तुत करेंगे।

क्षतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने तथा निपटारे की प्रक्रिया:

6. संशोधित प्रक्रिया निम्नवत होगी:

(क) राज्य/संघ क्षेत्र राज्य के वित्त सचिव द्वारा प्रमाणित राजस्व संग्रहण के अस्थाई आंकड़े सहित क्षतिपूर्ति का दावा प्रत्येक माह इस विभाग को भेजेंगे (संबंधित राज्य/संघ क्षेत्र के एजी को एक प्रतिलिपि सहित)। राज्य के वित्त सचिव उपर्युक्त पैरा 4 एवं 5 में यथा उल्लिखित विचलन के कारण किए जाने वाले राजस्व समायोजन पर भी सूचना भेजेंगे। इस सूचना को प्रस्तुत करने पर राज्यों को तदर्थ क्षतिपूर्ति जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, किसी राज्य/संघ क्षेत्र द्वारा वास्तविक कठिनाईयों के कारण विचलन पर सूचना प्रस्तुत करने में देरी होने के मामले में राज्य/संघ क्षेत्र द्वारा तीन माह की अवधि के भीतर लंबित सूचना प्रस्तुत करने का आश्वासन देने की शर्त पर भी तदर्थ क्षतिपूर्ति जारी करने पर विचार किया जा सकता है।

(ख) संबंधित राज्य के एजी, अपेक्षित आंकड़े एजी के कार्यालय में उपलब्ध कराने पर नियत अवधि में कुल राजस्व संग्रहण के संबंध में राज्य/संघ क्षेत्र के वित्त सचिव द्वारा प्रस्तुत आंकडों को पृथक रूप से सत्यापित करेंगे और आंकड़ों में भिन्नता, यदि कोई हो, के बारे में इस विभाग को सूचना देंगे। एजी से ऐसा परामर्श प्राप्त होने पर अगले माह भुगतान किए जाने वाले क्षतिपूर्ति की राशि में उपयुक्त समायोजन किया जाएगा। इस तथ्य को धयान में रखते हुए यहां पर यह स्पष्ट किया जाता है कि महा-लेखाकार (एजी) केवल कुल कर संग्रहण के आंकड़े रखते हैं न कि वस्तु-वार आंकड़े, तो जहां भी वस्तु-वार आंकड़े प्रस्तुत किया जाना है वहां पर एजी प्रमाणीकरण अपेक्षित नहीं होगा। यह वैट (और जो कर की न्यूनतम 20 प्रतिशत की दर के अधीन है) से बाहर वस्तुओं की मदों के संबंध में सूचना सहित विचलन से संबंधित सूचना पर भी लागू होगा।

(ग) यदि कही पर एजी कार्यालय तथा राज्य सरकार के बीच असहमति होती है तो मामले को इस विभाग के नोटिस में लाया जाए और इसे वैट पर भारत सरकार द्वारा सचिव, व्यय की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष रखा जाएगा और ऐसे मामलों में समिति की सलाह से समुचित अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

4. इसके अतिरिक्त मुझे आपसे तदनुसार आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने का अनुरोध करने का निदेश हुआ है।

धन्यवाद सहित।

भवदीय,

(एल. के. गुप्ता)
निदेशक (एसटी)
दूरभाष: 011-23092878

प्रतिलिपि: अंग्रेजी पाठानुसार प्रेषित।

<u>प्रोफार्मा-I</u>

<u>वास्तविक राजस्व का परिकलन (प्रतिदाय का निवल)</u>

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम

(करोड़ रू.)

क्र.	कर का मद	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	कर को वैट में शामिल करने की

सं.								तारीख (क्र. स. 2 से 6 के लिए)
1	राज्य/सामान्य बिक्री कर: क) कुल कर राजस्व ख) वैट से बाहर के मदों से कर राजस्व ग) निवल कर राजस्व (क-ख)							
2	क्रय कर							
3	प्रवेश कर (चुंगी के बदले नहीं)							
4	टर्नओवर कर							
5	अधिभार							
6	वैट में शामिल किए जाने वाले अन्य संबंधित कर							
	कुल							

टिप्पणी:

1. केन्द्रीय बिक्री कर को गणना में शामिल नहीं किया जाएगा क्योंकि पैकेज में केवल राज्य बिक्री कर शामिल है।
2. क्र. स. 1 के मामले में गणना के प्रयोजनार्थ केवल "निवल कर राजस्व" को ध्यान में रखा जाएगा। एजी प्रमाणपत्र केवल "कुल कर राजस्व" के लिए प्रस्तुत किया जाए। "वैट से बाहर के मदों से कर राजस्व" के मामले में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना ही पर्याप्त होगी।

प्रमाणपत्र:

प्रमाणित किया जाता है कि 2003-04 तक के आंकड़े राज्य के महा-लेखाकार द्वारा प्रमाणित हैं। महा-लेखाकार का मूल प्रमाणपत्र संलग्न है। 2004-05 के आंकड़े राज्य/संघ क्षेत्र सरकार के लेखा रिकार्डो के अनुसार हैं और मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार सत्य है। 2004-05 के लिए एजी प्रमाणित आंकड़े नियत समय में प्रस्तुत किए जाएंगे।

वित्त सचिव

प्रोफार्मा-II

कुल कर राजस्व के औसत वार्षिक वृद्धि दर का परिकलन

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम

(करोड़ रू.)

वर्ष	कुल कर राजस्व	वार्षिक वृद्धि दर का परिकलन		राज्य द्वारा चुने गए 3 वर्ष (कपया उल्लेख करें	चुनिंदा 3 वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि दर
		वर्ष	वृद्धि दर		
1	2	3	4	5	6
1999-00					
2000-01		2001-02/ 1999-00			
2001-02		2001-02/			

		2000-01			
2002-03		2002-03/ 2001-02			
2003-04		2003-04/ 2002-03			
2004-05		2004-05/ 2003-04			

टिप्पणी:

1. कालम 2 में केवल उन करों के कुल कर राजस्व, जो वास्तव में वैट में शामिल किए गए हैं, को ध्यान में रखा जाएगा।
2. कालम 6 में औसत वार्षिक वृद्धि दर कालम 5 में राज्यों द्वारा चुने/उल्लेख किए गए 3 सर्वश्रेष्ठ वर्षों के वार्षिक वृद्धि दरों का सरल अंकगणितीय औसत होगा।

प्रोफार्मा-III

प्रस्तावित कुल कर राजस्व, वास्तविक कर राजस्व तथा क्षतिपूर्ति की जाने वाली हानि का परिकलन

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम

वर्ष: 2005-06,/2006-07/2007-08

(करोड़ रू.)

माह	2004-05 के दौरान कुल कर राजस्व	2005-06,/2006-07/2007-08 के दौरान प्रस्तावित कर राजस्व (माह तक	2005-06,/2006-07/2007-08 के दौरान वास्तविक कर राजस्व (माह तक संचयी)	2005-06,/2006-07/2007-08 के दौरान हानि (माह तक संचयी)	भुगतान की ज क्षतिपूर्ति की र का 100%, 50%, यथा ल

			संचयी)							
	माह के दौरान	माह तक संचयी		कुल कर राजस्व	वैट से बाहर के मदों से कर राजस्व	सीएसटी से समायोजित वैट के अन्तर्गत आईटीसी, यदि कोई हो	कुल निवल राजस्व		माह तक देय कुल क्षतिपूर्ति	पिछ माह तक भुगत की क्षति ि
1	2	3	4	5	6	7	8 (5-6-7)	9	10	11
अप्रैल										
मई										
जून										
जुलाई										
अगस्त										
सितम्बर										
अक्टूबर										
नवम्बर										
दिसम्बर										
जनवरी										
फरवरी										
मार्च										

टिप्पणी: वास्तविक कर राजस्व (कालम 5 से 8) के संबंध में यह नोट किया जाए कि एजी सामंजस्य केवल कालम 5 में दिखाए गए "कुल कर राजस्व" के संबंध में आवश्यक है। कालम 6 तथा 7 में सूचना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना पर्याप्त होगी। क्षतिपूर्ति कालम 8 में "निवलकर राजस्व" पर आधारित होगी। कालम 7 में व्यापारी द्वारा सीएसटी में समायोजित वैट इनपुट कर क्रेडिट, यदि कोई हो, के संबंध में सूचना दी जाए।

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वैट डिजाइन (अभिसरण मापदण्ड सहित), प्रोफार्मा IV में बताए गए विचलन के अधीन, अधिकार प्राप्त समिति द्वारा यथा परिपूर्ण, का पूरी तरह से पालन किया गया है।

वित्त सचिव

प्रोफार्मा-IV

विचलन पर सूचना

वर्ष:

क्र. सं.	मद/सामग्री	वैट दर		मद/सामग्री से कर संग्रहण	
		ईसी द्वारा यथा अनुमोदित (वास्तविक रूप से)	राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा यथा अंगीकृत	..... माह के दौरान	वर्ष के दौरान संचयी
1	2	3	4	5	6

टिप्पणी:

1. कालम 3 में उल्लिखित वैट दर क्षतिपूर्ति पैकेज को अंतिम रूप देते समय ईसी द्वारा वास्तविक रूप से अनुमोदित वैट दर होना चाहिए न कि ईसी द्वारा निर्धारित संशोधित वैट दर।
2. यदि राज्य/संघ क्षेत्र वस्तुओं की बहुत छोटी मदों (शामिल राजस्व के रूप में) के संबंध में वास्तविक कर संग्रहण को एकत्रित एवं प्रस्तुत करने में कठिनाई महसूस करते है तो ऐसे

राज्य/संघ क्षेत्र एनएसएस डाटा अथवा किसी अन्य समुचित आधार पर राजस्व हानि के अपने मूल्यांकन के आधार पर सूचना प्रस्तुत कर सकते हैं।

फा. सं. 28/4/2007-एसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त, 2008

सेवा में,

सभी राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों,

वित्त/कराधन विभागों के सचिव।

विषय: केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) हटाने के कारण राज्यों/संघ क्षेत्रों को हुई राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति।

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तीन वर्षों की अवधि अर्थात 31.3.2010 तक सीएसटी को हटाने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मध्य एक सर्वसम्मति बनी है। इस सर्वसम्मति के भाग के रूप में सीएसटी की दर 1.4.2007 से 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत तथा 1.6.2008 से 3 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है। 1.4.2007 से सीएसटी दर 4 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करने के कारण सीएसटी राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए पूर्व दिशानिर्देश फा. सं. 28/4/2007-एसटी दिनांक 10 अक्टूबर, 2007 के तहत जारी किया गया था। अब, उक्त पूर्व दिशानिर्देशों के अधिक्रमण में इन समेकित दिशानिर्देशों को जारी करने का निर्णय लिया गया है जिसमें सीएसटी की दर को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने के कारण राज्यों/संघ क्षेत्रों को हुई सीएसटी राजस्व हानि को निम्नलिखित उपायों के माध्यम से क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था है:

क) फार्म-डी की प्रस्तुति से सरकारी विभागों को अन्तर-राज्यीय बिक्री पर रियायती सीएसटी दर के लाभ को वापस लेना।

ख) राज्यों को तम्बाकू पर 12.5 प्रतिशत की दर से वैट लगाने के लिए सक्षम बनाना।

ग) वर्तमान में कर के अधीन 33 सेवाओं का राजस्व तथा 44 नई सेवाएं (जब भी कर लगाया जाएगा) राज्यों को हस्तांतरित करना।

घ) यदि (क), (ख) एवं (ग) में उल्लिखित उपाय राजस्व हानि की पूरी भरपाई नहीं करते तो 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान बजटीय सहयता।

2. उपरोक्त प्रस्तावों को लागू करने के उद्देश्य से कराधान कानून (संशोधन), अधिनियम, 2007, जिसे 1.4.2007 से प्रभावी बनाया गया है, के अधिनियमन के माध्यम से आवश्यक वैधानिक उपाय किए गए हैं।

केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाने के कारण राज्यों को भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति तथा राजस्व हानि की गणना का तौर-तरीका:

3. केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाने के कारण राज्यों को भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति तथा राजस्व हानि की गणना का विस्तृत तरीका निम्नवत होगा:

3.1 सीएसटी हटाने के कारण हुई राजस्व हानि का मूल्यांकन:

सीएसटी हटाने के कारण हुई राजस्व हानि के मूल्यांकन की विधि निम्नवत होगी:

क) राजस्व हानि के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ वर्ष 2006-07 के दौरान वास्तविक सीएसटी राजस्व को संगणना के आधार के रूप में लिया जाएगा। 2006-07 के दौरान सीएसटी राजस्व राज्य/संघ क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए ए.जी. प्रमाणित आंकड़ो के आधार पर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि किसी राज्य/संघ क्षेत्र ने सीएसटी राजस्व से वैट इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) अथवा कोई अन्य क्रेडिट के समायोजन की अनुमति की प्रथा को अपनाया है जिससे सीएसटी राजस्व की कम बयानी हुई है, तो कुल वास्तविक सीएसटी राजस्व पर पहुंचने हेतु एजी प्रमाणित सीएसटी राजस्व आंकड़ो में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

ख) वर्ष 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए सीएसटी राजस्व परियोजना के प्रयोजनार्थ अपनाई जाने वाली वृद्धि दर 2003-04 से 2006-07 की अवधि के लिए कुल सीएसटी राजस्व की संयोजित वार्षिक वद्धि दर (सीएजीआर) होगी। 2007-08 तथा अनुवर्ती वर्षों के लिए प्रस्तावित सीएसटी राजस्व आधार वर्ष अर्थात 2006-07 के दौरान कुल सीएसटी राजस्व में सीएजीआर का प्रयोग करते हुए निकाला जाएगा।

ग) 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान वास्तविक सीएसटी राजस्व पहले राज्य/संघ क्षेत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए अस्थाई आंकड़ों के आधार पर किन्तु उत्तरकालीन चरण में एजी द्वारा प्रमाणीकरण के अधीन लिया जाएगा। राज्य द्वारा पूरे वर्ष के लिए प्रमाणपत्र आगामी वर्ष के 30 जून से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त (क) के मामले के अनुसार वैट इनपुट कर क्रेडिट अथवा सीएसटी दायित्व से मांग किए गए किसी अन्य क्रेडिट के संबंध में आवश्यक समायोजन किया जाएगा।

घ) उपर्युक्त (ग) के अन्तर्गत यथा परिकलित वास्तविक सीएसटी राजस्व की संगत अवधि के दौरान क्षतिपूर्ति किए जाने वाले सीएसटी हानि का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त (ख) के अन्तर्गत यथा परिकलित प्रस्तावित सीएसटी राजस्व के साथ तुलना की जाएगी।

ङ) उपर्युक्त (घ) पर संगणित सीएसटी हानि को क्षतिपूर्ति भुगतान किए गए अवधि में वास्तविक संग्रहण के आधार पर "आनुपातिक हानि" तक सीमित किया जाएगा। उस अवधि के दौरान संरक्षित किए जाने वाले आनुपातिक सीएसटी राजस्व की गणना अनुमानित राशि, जो संग्रहीत किया जाता, यदि कर दर 4 प्रतिशत की दर से जारी रहता, वास्तविक कम कर दर पर उस अवधि में संग्रहीत वास्तविक सीएसटी राजस्व के बहिर्वेशन द्वारा की जाएगी। इस प्रकार परिकलित अनुमानित सीएसटी राजस्व तथा विचाराधीन अवधि के लिए वास्तविक सीएसटी राजस्व के बीच का अंतर अनुमानित हानि होगा।

च) पूरे वर्ष के लिए एजी प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर 2006-07 के लिए देय राशि 2006-07 के लिए पूर्व में जारी किसी राशि, यदि कोई हो, के समायोजन के पश्चात भुगतान किया जाएगा।

3.2 सीएसटी राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति:

क्षतिपूर्ति पैकेज में गैर-वित्तीय उपायों तथा बजटीय सहायता से अतिरिक्त राजस्व शामिल होगा। सीएसटी 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत करने से संबंधित पैकेज में निम्नलिखित शामिल होगा:

क) तम्बाकू पर वैट/बिक्री कर: राज्य/संघ क्षेत्र तम्बाकू पर 12.5 प्रतिशत की दर से वैट/बिक्री कर लगाएंगे। प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र द्वारा तम्बाकू से संग्रहीत वास्तविक राजस्व को गणना में लिया जाएगा। यदि किसी राज्य/संघ क्षेत्र ने तम्बाकू पर वैट/बिक्री कर नही लगाया है अथवा 12.5 प्रतिशत से कम दर नियत किया है तो इसे विचलन के रूप में लिया जाएगा और राजस्व परित्याग मानदंड आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

ख) फार्म-डी की समाप्ति: सरकारी विभागों को फार्म-डी से 4 प्रतिशत की रियायती सीएसटी दर पर अन्तर-राज्यीय खरीद करने के लिए विशेष रियायत वापस माना जाएगा और ऐसी वापसी के कारण होने वाले अतिरिक्त राजस्व को गणना में लिया जाएगा। सहमति के अनुसार वर्ष 2007-08 के लिए इस उपाय से प्राप्त कुल राजस्व 1,500 करोड़ पर रखा जाएगा और 2006-07 के दौरान राज्यों के सीएसटी राजस्व के अनुपात में उनके मध्य विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र के लिए इस प्रकार निकाली गई राशि इस उपाय से 2007-08 के दौरान ऐसे राज्य/संघ क्षेत्र के लिए राजस्व लाभ के रूप में लिया जाएगा। वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए राजस्व लाभ सीएसटी राजस्व के लिए स्वीकार्य वृद्धि दर का प्रयोग करते हुए निकाला जाएगा।

ग) वर्तमान में सेवा कर भुगतान के लिए उत्तरदायी अत:-राज्यीय प्रकृति की **33** सेवाओं से राजस्व का हस्तांतरण: केन्द्र सरकार कर लगाना व संग्रह करना जारी रखेगी किन्तु राजस्व देय नगद क्षतिपूर्ति के निमित्त राज्यों को हस्तांतरित किया जाएगा।

घ) इसके अतिरिक्त अत:-राज्यीय प्रकृति की **44** नई सेवाओं को सेवा कर लगाने के लिए चिन्हित किया गया है: केन्द्र अत:-राज्यीय प्रकृति के इन सेवाओं में से अधिक से अधिक सेवाओं पर सेवा कर लगाने का प्रयास करेगा। यदि इन सेवाओं पर सेवा कर लगाया जाएगा तो केन्द्र कर संग्रह करेगा किन्तु इन सेवाओं से होने वाला राजस्व देय नगद क्षतिपूर्ति के निमित्त राज्यों को हस्तांतरित करेगा।

ङ) यदि उपर्युक्त उपायों से 2007-08 तथा 2008-09 में हानियों के लिए राज्यों को पूरी तरह क्षतिपूर्ति नहीं होती तो केन्द्र सरकार भिन्नता की भरपाई के लिए बजटीय सहायता प्रदान

करेगा। उपरोक्त (ग) एवं (घ) के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि भी, यदि कोई हो, केन्द्र सरकार के बजट से दिया जाएगा।

च) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 जनवरी तक की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति वैट के कार्यान्वयन के कारण होने वाली राजस्व हानि के लिए जारी किए जा रहे क्षतिपूर्ति के तरीके से ही सहायता अनुदान के रूप में जारी किया जाएगा। गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संचयी आधार पर किया जाएगा। उदाहरार्थ, यदि कोई दावा सितम्बर, 2008 तक की अवधि को शामिल करते हुए अक्टूबर, 2008 में दाखिल किया गया है तो जारी की जाने वाली क्षतिपूर्ति अप्रैल-सितम्बर, 2008 के लिए राज्य जिस राशि का पात्र है उसमें से पूर्व में जारी राशि, यदि कोई हो, को कम करने के पश्चात प्राप्त होने वाली कुल राशि होगी। प्रत्येक वर्ष के फरवरी तथा मार्च के लिए क्षतिपूर्ति उस वर्ष के लिए एजी प्रमाणित आंकड़ा उपलब्ध करने के पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। पूरे वर्ष के लिए एजी प्रमाणित आंकड़े पर आधारित देय राशि उस वर्ष के लिए पूर्व में जारी राशि के समायोजन के पश्चात भुगतान किया जाएगा।

छ) यदि एजी प्रमाणित आंकड़ों के आधार पर किसी राज्य/संघ क्षेत्र की कुल सीएसटी क्षतिपूर्ति पात्रता राज्य/संघ क्षेत्र को पूर्व में जारी तदर्थ सीएसटी प्रतिपूर्ति की राशि से कम/नीचे है तो अतिरिक्त अदायगी की राशि प्रक्रिया के अनुसार राज्य/संघ के खाते से सीधे डेबिट द्वारा वसूल किया जाएगा।

ज) यदि किसी राज्य/संघ क्षेत्र का सीएसटी दर 1.4.2007 से पूर्व सामान्य अथवा विशिष्ट सामग्रियों पर 3 प्रतिशत या उससे कम है तो 1.4.2007 से 31.5.2008 तक सीएसटी दर 4 प्रतिशत से कम करके 3 प्रतिशत करने पर ऐसे राज्य/संघ क्षेत्र को कोई क्षतिपूर्ति अदा नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि किसी राज्य/संघ क्षेत्र द्वारा सामान्य अथवा विशिष्ट सामग्रियों पर सीएसटी दर 1.4.2007 के बाद और 1.6.2008 से पूर्व 3 प्रतिशत से कम किया गया है तो क्षतिपूर्ति 3 प्रतिशत सीएसटी दर के साथ देय राशि तक सीमित किया जाएगा।

झ) यदि किसी राज्य/संघ क्षेत्र का सीएसटी दर 1.6.2008 से पूर्व सामान्य अथवा विशिष्ट सामग्रियों पर 2 प्रतिशत या उससे कम है तो 1.6.2008 से सीएसटी दर 3 प्रतिशत से कम करके 2 प्रतिशत करने पर ऐसे राज्य/संघ क्षेत्र को कोई क्षतिपूर्ति अदा नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, यदि किसी राज्य/संघ क्षेत्र द्वारा सामान्य अथवा विशिष्ट सामग्रियों पर सीएसटी दर 1.6.2008 के बाद 2 प्रतिशत से कम किया जाना है तो क्षतिपूर्ति 2 प्रतिशत सीएसटी दर के साथ देय राशि तक सीमित किया जाएगा।

4. उपर्युक्त परिकलन को सुगम बनाने के उद्देश्य से राज्यों/संघ क्षेत्रों को इसके साथ संलग्न प्रोफार्मा-I से IV में सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है।

5. उपर्युक्त दिशानिर्देश/अनुदेश सीएसटी दर 1.4.2007 से 4 प्रतिशत से कम करके 3 प्रतिशत तथा 1.6.2008 से सीएसटी दर 3 प्रतिशत से कम करके 2 प्रतिशत करने के संबंध में राज्यों को क्षतिपूर्ति के लिए है। भविष्य में, जब सीएसटी को और कम किया जाएगा और राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए नए उपाय प्रस्तुत किए जाएंगे तो दिशानिर्देशों/अनुदेशों को नई गतिविधियों को शामिल करने के लिए राज्यों के परामर्श से समुचित रूप से परिवर्तित किया जाएगा।

6. इसके अतिरिक्त मुझे तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आपसे अनुरोध करने का निदेश हुआ है।

धन्यवाद सहित।

भवदीय,

(अरविंद कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
(राज्य कर अनुभाग)
दूरभाष: 011-23095376

प्रतिलिपि: अंग्रेजी पाठानुसार प्रेषित।

प्रोफार्मा-I

सीएसटी राजस्व के संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) का परिकलन

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम

(करोड़ रू.)

वर्ष		सीएसटी राजस्व			वार्षिक वृद्धि दर	संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर)
	निवल सीएसटी राजस्व (एजी प्रमाणपत्र के अनुसार)	सीएसटी से समायोजित वैट इनपुट कर क्रेडिट, यदि कोई हो	सीएसटी से अन्य कोई समायोजन, यदि कोई हो	कुल सीएसटी राजस्व		
1	2	3	4	5=[2+3+4]	6	7
2003-04						
2004-05						
2005-06						
2006-07						

टिप्पणी:

1. कालम 2 में सूचित निवल सीएसटी राजस्व आंकड़ों के समर्थन में एजी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जागा। शुरूआत में एजी प्रमाणपत्र 2005-06 तक के लिए भेजा जाएगा। 2006-07 के लिए एजी प्रमाणपत्र बाद में, जब उपलब्ध हो तब प्रस्तुत किया जाए।
2. कालम 3 तथा कालम 4 में आंकड़ों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना पर्याप्त होगी किन्तु एजी द्वारा तदनन्तर सत्यापन के अधीन होगा।

प्रोफार्मा-II

प्रस्तावित सीएसटी राजस्व, वास्तविक सीएसटी राजस्व तथा क्षतिपूर्ति की जाने वाली हानि का परिकलन

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम

वर्ष:

(करोड़ रू.)

माह	2006-07 के दौरान सीएसटी राजस्व			2007-08,/2008-09/2009-10 के दौरान प्रस्तावित कुल सीएसटी राजस्व (जैसा भी मामला हो)	2007-08,/2008-09/2009-10 के दौरान सीएसटी राजस्व (जैसा भी मामला हो)			भुगतान की जाने वाली कुल सीएसटी हानि	तम्बाकू पर वैट/बिक्री कर
	निवल सीएसटी राजस्व	सीएसटी से समायोजित वैट के अन्तर्गत आईटीसी, यदि कोई हो	कुल सीएसटी राजस्व		निवल सीएसटी राजस्व	सीएसटी से समायोजित वैट के अन्तर्गत आईटीसी, यदि कोई हो	कुल सीएसटी राजस्व		
1	2	3	4 (2+3)	5	6	7	8 (6+7)	9	10
अप्रैल									
मई									
जून									
जुलाई									

अगस्त									
सितम्बर									
अक्टूबर									
नवम्बर									
दिसम्बर									
जनवरी									
फरवरी									
मार्च									
कुल									

टिप्पणी:

1. कालम 2 तथा 6 में राज्य/संघ क्षेत्र आरंभ में अनंतिम आंकड़े प्रस्तुत करेंगे जो कि बाद में एजी प्रमाणित आंकड़े के अधीन होगा।
2. कालम 5 में प्रस्तावित कुल सीएसटी राजस्व की गणना प्रोफार्मा 1 में परिकलित सीएजीआर का प्रयोग आधार वर्ष 2006-07 (कालम 4) में कुल सीएसटी राजस्व में करते हुए किया जाएगा।
3. कालम 3, 7 एवं 10 में राज्य/संघ क्षेत्र द्वारा विभागीय रिकार्ड के अनुसार भेजे गए आंकड़े पर्याप्त होंगे किन्तु तदनन्तर एजी सत्यापन के अधीन होगा।

प्रोफार्मा-III

सामग्रियों/फर्मों के संबंध में सूचना जिनके लिए **31.3.2007** को अथवा उसके बाद सीएसटी दर **4** प्रतिशत से कम लागू हैं

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम:

क्र. सं.	31.3.2007 तक 4 प्रतिशत से कम सीएसटी दर लागू सामग्रियों तथा/ या फर्मों के नाम	कर की दर	जिस तारीख से प्रभावी है	2006-07 में संग्रहण	2007-08 में संग्रहण	टिप्पणी

वित्त सचिव/आयुक्त के हस्ताक्षर

(वैट/बिक्री कर/व्यापार कर)

टिप्पणी:

1. राज्य सरकार द्वारा भेजी गई उपर्युक्त सूचना पर्याप्त होगी किन्तु तदनन्तर एजी सत्यापन के अधीन होगा।
2. संगत सूचना/परिपत्र आदि भी प्रस्तुत करें।
3. यदि विद्यमान सीएसटी दर में कोई विचलन नहीं है तो उसका भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

प्रोफार्मा-IV

सामग्रियों/फर्मों के संबंध में सूचना जिनके लिए 1.4.2007 को अथवा उसके बाद सीएसटी दर 3 प्रतिशत से कम किया गया है

राज्य/संघ क्षेत्र का नाम:

क्र. सं.	31.3.2007 तक 4 प्रतिशत से कम सीएसटी दर लागू सामग्रियों तथा/ या फर्मों के नाम	कर की दर	जिस तारीख से प्रभावी है	2006-07 में संग्रहण	2007-08 में संग्रहण	टिप्पणी

वित्त सचिव/आयुक्त के हस्ताक्षर

(वैट/बिक्री कर/व्यापार कर)

टिप्पणी:

1. राज्य सरकार द्वारा भेजी गई उपर्युक्त सूचना पर्याप्त होगी किन्तु तदनन्तर एजी सत्यापन के अधीन होगा।
2. संगत सूचना/परिपत्र आदि भी प्रस्तुत करें।
3. यदि विद्यमान सीएसटी दर में कोई विचलन नहीं है तो उसका भी स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।

प्रस्तावना (वैट)

1. राज्य वैट की शुरूआत राज्य स्तर पर एक महत्वपूर्ण एवं नया सुधार उपाय है। राज्य वैट ने राज्यों के पहले के बिक्री कर प्रणाली को प्रतिस्थापित किया है। वैट 'राज्य के भीतर वस्तुओं की खरीद एवं बिक्री पर कर' होने के कारण भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 के प्रभाव से एक राज्य विषय है।

2. चूंकि वैट/बिक्री कर एक राज्य विषय है, केन्द्र सरकार वैट के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए एक सुकारक की भमिका निभा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए जा रहे कुछ कदम निम्नवत हैं:

3. वैट के प्रस्तुतीकरण के परिणामस्वरूप किसी राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए एक पैकेज कार्यान्वित किया गया है। राज्यों/संघ क्षेत्रों के वाणिज्यिक कर विभागों को कम्प्यूटरीकरण करने में सक्षम बनाने के उद्वेश्य से उनको मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान किया जा रहा है। हिमांचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर के वाणिज्यिक कर प्रशासन के कम्प्यूटरीकरण के लिए एक अलग परियोजना भी स्वीकृत की गई है। अंतर-राज्यीय संव्यवहारों का पता लगाने के लिए टीआईएनएक्सएसआईएस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को 50 प्रतिशत निधिबंधन प्रदान किया जा रहा है।

<u>वैट क्षतिपूर्ति पर अतिरिक्त अनुदेश</u>

फा. सं. 32/67/2005-एसटी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, 9 जून, 2009

सेवा में,

सभी राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों,

वित्त/कराधन विभागों के सचिव।

विषय: मूल्य वर्धित कर (वैट) के प्रस्तुतीकरण के कारण राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति के संबंध में अतिरिक्त अनुदेश।

महोदय/महोदया,

मुझे मूल्य वर्धित कर (वैट) के प्रस्तुतीकरण के कारण राजस्व हानि के मामले में राज्यों/संघ क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति विषय पर फा. सं. 34/67/2005-एसटी दिनांक 19 जुलाई, 2005 द्वारा सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों को पूर्व में परिचालित "संशोधित समेकित अनुदेश" का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. मुझे अन्य बातों के साथ-साथ विशेष रूप से पैरा-2 के उप-पैरा (घ) में दर्शाई गई प्रक्रिया का भी उल्लेख करने का निदेश हुआ है जिसमें 1 अप्रैल, 2005 से किसी अवधि के लिए किसी राज्य/संघ क्षेत्र को क्षतिपूर्ति योग्य वैट राजस्व हानि की गणना की व्यवस्था है जो सारत: पिछले प्रचलन के आधार पर प्रस्तावित राजस्व और उस अवधि में वैट राजस्व प्रदर्शन की प्रस्तुति के पश्चात निवल वास्तविक राजस्व के मध्य का अंतर होगा।

3. इसी दौरान 1 अप्रैल, 2007 से केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) को हटाने के निर्णय के परिणामस्वरूप सीएसटी क्षतिपूर्ति पर समेकित दिशानिर्देश फा. सं. 28/4/2007-एसटी दिनांक 22.8.2008 के तहत जारी किए गए। इसमें फार्म-डी प्रस्तुत करके सरकारी विभागों को अन्तर-राज्यीय बिक्री पर रियायती सीएसटी दर का लाभ वापस लेने तथा अब तक सीएसटी राजस्व दर 4 प्रतिशत से कम करके 2 प्रतिशत करने के कारण सीएसटी राजस्व हानि को समायोजित करने के लिए तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर वैट लगाने सहित कुछ राजस्व बढ़ाने के उपायों की व्यवस्था है।

4. राज्यों/संघ क्षेत्रों तथा राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) ने तदनन्तर इस मुद्दे को उठाया कि फार्म-डी प्रस्तुत करके सरकारी विभागों को अन्तर-राज्यीय बिक्री पर रियायती सीएसटी दर के लाभ को हटाने तथा तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर वैट लगाने के कारण राज्यों/संघ क्षेत्रों को होने वाले राजस्व लाभ को वैट के प्रस्तुतीकरण तथा सीएसटी को हटाने के कारण राजस्व हानि के लिए राज्यों को देय क्षतिपूर्ति की गणना के लिए हिसाब में लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्यों/संघ क्षेत्रों द्वारा यह अनुरोध किया गया कि चूंकि इसके कारण उनकी क्षतिपूर्ति राशि में अनुचित रूप से कमी हो रही थी, वैट के प्रस्तुतीकरण तथा सीएसटी को हटाने के कारण राजस्व हानि के लिए उनको देय क्षतिपूर्ति की गणना करते समय ऐसे उपायों से राजस्व लाभ की दोहरी गणना को हटाया जाना आवश्यक था।

5. ध्यानपूर्वक विचार करने पर यह सामने आया कि किसी राज्य/संघ क्षेत्र के लिए राजस्व लाभ की ऐसी दोहरी गणना संभवतया केवल वैट और सीएसटी राजस्व हानि के लिए क्रमश: दो क्षतिपूर्ति पैकेजों, अर्थात 1.4.2007 से और राज्यों/संघ क्षेत्रों के लिए वैट क्षतिपूर्ति पैकेज की समाप्ति की तारीख तक (सामान्यतया 31.3.2008 तक), के अतिव्यापन की अवधि के लिए हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि राजस्व लाभ की ऐसी दोहरी गणना वास्तव में केवल तभी होगी यदि संबंधित राज्य/संघ क्षेत्रों ने क्रमश: दोनों क्षतिपूर्ति पैकेजों अर्थात वैट और सीएसटी राजस्व हानि के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के लिए पात्र राजस्व हानियों को झेला है। इसके अलावा यह पाया गया कि इन उपायों को विशेष रूप से राज्यों/संघ क्षेत्रों को सीएसटी हटाने के कारण हुई राजस्व हानि, यदि कोई हो, के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों को कर राजस्व के अतिरिक्त स्रोत प्रदान करके क्षतिपूर्ति करने के लिए शुरू किया गया था।

6. अतएव, विस्तृत जांच के बाद यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई राज्य/संघ क्षेत्र वैट के प्रस्तुतीकरण तथा सीएसटी हटाने दोनों के लिए एक ही अवधि में राजस्व हानियों के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र है तो देय क्षतिपूर्ति राशि की गणना के लिए परिकलन प्रक्रिया समुचित रूप से निम्नवत तैयार की जाएगी:-

I. फार्म-डी प्रस्तुत करके सरकारी विभागों को अन्तर-राज्यीय बिक्री पर रियायती सीएसटी दर के लाभ को हटाने तथा तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर वैट लगाने के कारण राज्यों/संघ क्षेत्रों को होने वाले राजस्व लाभ को सीएसटी हटाने के कारण राजस्व हानि के लिए राज्य/संघ क्षेत्र को उस अवधि के लिए देय क्षतिपूर्ति की गणना करते समय हिसाब में लेना जारी रहेगा।

II. वैट के प्रस्तुतीकरण के कारण राजस्व हानि के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों को उसी अवधि के लिए देय क्षतिपूर्ति की गणना करते समय इन उपायों से हुए राजस्व लाभों की किसी दोहरी गणना के लिए उपयुक्त समायोजन किया जाए।

7. तदनुसार, उपर्युक्त उल्लिखित निर्णय के आलोक में वैट क्षतिपूर्ति पर फा. सं. 34/67/2005-एसटी दिनांक 19.7.2005 के तहत परिचालित "संशोधित समेकित अनुदेश" के पृष्ठ 2 के पैरा 2 में वास्तविक राजस्व के परिकलन के लिए प्रक्रिया के विस्तार के लिए पूर्व उप-पैरा (घ) के बाद तथा उप-पैरा (ङ) के पहले एक नया उप-पैरा (घघ) निम्नवत शामिल किया जाना है-

" (घघ) यदि कोई राज्य/संघ क्षेत्र वैट के प्रस्तुतीकरण तथा सीएसटी हटाने दोनों के लिए एक ही अवधि में राजस्व हानियों के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए पात्र है तो उस राज्य/संघ क्षेत्र को उस अवधि के लिए निवल राजस्व का परिकलन फार्म-डी प्रस्तुत करके सरकारी विभागों को अन्तर-राज्यीय बिक्री पर रियायती सीएसटी दर के लाभ को हटाने से होने वाले अनुमानित वैट राजस्व की राशि तथा इसके अतिरिक्त तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों पर वैट लगाने से प्राप्त राजस्व की वास्तविक राशि से उस अवधि के लिए वास्तविक वैट राजस्व को कम करके किया जाएगा, बशर्ते कि उसी अवधि के लिए उनके सीएसटी क्षतिपूर्ति दावे से उतनी राशि समायोजित किया गया है। ऐसे मामलों में उस राज्य/संघ क्षेत्र को क्षतिपूर्ति योग्य वैट राजस्व हानि की राशि उस अवधि के लिए प्रस्तावित राजस्व तथा निवल वैट राजस्व के बीच के अंतर की राशि होगी।

8. यह आपके सूचनार्थ है।

धन्यवाद सहित।

भवदीय,

(अरविंद कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार